



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 मई 2013-ज्येष्ठ 3, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का पहले नाम झनक कुमार हरणे पिता उदय हरणे था. अब मेरे पुत्र का नाम सुदत्त हरणे पिता उदय हरणे हो गया है. आज से भविष्य में इसी नाम से जाना और पहचाना जाये.

(70-बी.)

उदय हरणे (पिता),
01, द्रविड नगर, फ्लेट नं. 303,
इन्द्रप्रस्थ अपार्टमेंट, रणजीत हनुमान के पास,
इन्दौर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम विवाह से पूर्व कु. लता बाबानी पुत्री श्री कन्हैयालाल बाबानी था, लेकिन विवाह के पश्चात् मेरा नाम श्रीमति भावना वरलानी पत्नी श्री मोहन वरलानी हो गया है, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाये तथा मेरा यही नाम सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(कु. लता बाबानी)
पुत्री श्री कन्हैयालाल बाबानी,
पता—मकान नं. 815, टैगोर वार्ड,
गांधी नगर, भोपाल (मध्यप्रदेश).

(71-बी.)

नया नाम :
(भावना वरलानी)
पत्नी श्री मोहन वरलानी
पता—मकान नं. 815, टैगोर वार्ड,
गांधी नगर, भोपाल (मध्यप्रदेश).

नाम परिवर्तन

पूर्व में मुझे RAJ KAMAL TIWARI के नाम से जाना एवं पहचाना जाता था. अब मुझे वर्तमान में RAJ EMMANUEL के नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(RAJ KAMAL TIWARI)
(72-बी.)

नया नाम :
(RAJ EMMANUEL)
एस. एच. 19, वैशाली नगर, दमोह (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, बचन सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, निवासी—181-ए, गोपाल नगर, खजूरीकला रोड, बीएचईएल, भोपाल ने बच्चा सिंह से नाम बदलकर बचन सिंह रख लिया है। आज के बाद मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाये।

पुराना नाम :
(बच्चा सिंह)

(73-बी.)

नया नाम :
(बचन सिंह)
खजूरीकला रोड, बीएचईएल,
भोपाल (म. प्र.).

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्रीमति विपदा कनौजिया पत्नि श्री सुनील कुमार पटैल, निवासी—ई-307, संजय नगर कॉलोनी रांझी, जबलपुर वाली ने दिनांक 19 मार्च, 2012 को शपथ-पत्र के द्वारा अपने नाम में संशोधन कर लिया है। मेरे पक्षकार का पुराना नाम श्रीमति विपदा कनौजिया, मेरे पक्षकार का नया नाम श्रीमति विभा पटैल आज दिनांक 16 मार्च, 2012 से मेरे पक्षकार को श्रीमति विभा पटैल के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा जाये।

(74-बी.)

प्रीतम सिंह रघुवंशी,
(एडवोकेट/नोटरी),
मस्ताना चौक, जैन मंदिर के पास,
रांझी, जबलपुर (म. प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स बंशीवाले स्टोन क्रेशर, एम-48, आर. के. पुरी, थाटीपुर, ग्वालियर फर्म की रचना में आज दिनांक 02 मई, 2013 को निम्नलिखित परिवर्तन किया जा रहा है जिसमें नवीन साझेदार के रूप में श्री दिवाकर सिंह पुत्र श्री राम वरण सिंह, निवासी—24, महावीर कॉलोनी, वीराना हाउस, मुरार, ग्वालियर सम्मिलित हो रहे हैं और पूर्व साझेदार श्री संजय ठाकुर पुत्र श्री सोबरन सिंह ठाकुर, निवासी—सिंहपुर रोड, मुरार, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो रहे हैं तथा फर्म के नाम एवं पते में आंशिक परिवर्तन कर फर्म मैसर्स बंशीवाले स्टोन क्रेशर का स्थान परिवर्तन किया जा रहा है जो कि फर्म का नवीन स्थान 38, दुर्गापुरी, ग्वालियर होगा। आम एवं सर्वजन सूचित हो।

(75-बी.)

राकेश सिंह,
पार्टनर,
फर्म-मैसर्स बंशीवाले स्टोन क्रेशर,
एम-48, आर. के. पुरी, थाटीपुर, ग्वालियर.

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "NIRMAAN" of Bhopal Vide Reg. No.- Registration No. 01/01/01/00029/2009-2010 on dated 02/05/2009 undergone the following changes:-

1. That Shri Saroj Devi Amar S/o Shri Vijay Kumar Amar She joined from the Partnership firm w.e.f. 20/10/2012.
2. That Shri Manoj Sharma S/o Shri Mahendra Kumar Sharma has also desire to retire from the Partnership firm w.e.f. 20/10/2012.

(76-B.)

Vijay Kumar Amar,
Partner,
For "NIRMAAN"
First Floor, 67 Zone-I,
M. P. Nagar, Bhopal.

Dated 3rd May, 2013

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "M/s SANGAM ASSOCIATES" of Bhopal Vide Reg. No. 01/01/01/00015/11 dated 2011-2012 Date of Registration 11/04/2011 undergone the following changes:-

1. That Shri Amit Agrawal S/o Shri Manmohan Agrawal and Shri Arshad Hasan khan S/o Shri Azam Hasan Khan has joined from the Partnership firm w.e.f. 04/12/2012.
2. That Shri Ashok Kumar Shrivastava S/o Shri Vishwanath Prasad Shrivastava and Shri Nasir jamal S/o Shri Mohd. Laik has also desire to retire from the Partnership firm w.e.f. 04/12/2012.
3. That "M/s SANGAM ASSOCIATES" shall be continue to carry on the business of partnership from 15, Vishambar Kunj, Chunna Bhatti, Kolar Road, Bhopal firm w.e.f. 04/12/2012.

(Farhan Azam)

Partner,

"M/s SANGAM ASSOCIATES",
15, Vishambar Kunj, Chunna Bhatti,
Kolar Road, Bhopal.

(77-B.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "M/s AGRA DARI BHANDAR" of Bhopal Vide Reg. No. 1723/1979-80 Date of Registration 22-11-1979 undergone the following changes :-

1. That Shri Madanlal Singhal S/o Lt. Shri Murlidhar Singhal has expired w.e.f. 02/10/2003 and Shri Abhishek Singhal S/o Shri Sunil Kumar Singhal and Smt. Sona Devi Singhal w/o Lt. Shri Madanlal Singhal has Joined the Partnership firm w.e.f. 03/10/2003.

(Sunil Kumar Singhal)

Partner,

M/s AGRA DARI BHANDAR,
93, Marwari Road, Bhopal.

(78-B.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "M/s KHALDAS DEVELOPERS" of Bhopal Vide Reg. No. Reg. No. - 01/01/01/00288/07 Date of Registration 08/03/2007 undergone the following changes:-

1. That Shri Ratan Lalchandani S/o Shri ChandrBhan Lalchandani and Smt. Smriti Lalchandani W/o Shri Ratan Lalchnadani Has retired from the Partnership firm w.e.f. 12/03/2007.
2. That Shri Gurmeet Singh S/o Lt. Shri Pritam Singh has retired from the Partnership firm w.e.f. 28/07/2009.
3. That Satbeer Singh S/o Lt. Shri Pritam Singh Has retired from the Partnership firm w.e.f. 30/11/2012.
4. That KHALDAS DEVELOPERS shall be continue to carry on the business of partnership from Hotal Grand Ashirwad, 28 ISBT Commercial Complexes, Near Chetak Bridge, Bhopal - (M.P.) firm w.e.f. 30/11/2012.

(Manish Idnani),

Partner,

M/s KHALDAS DEVELOPERS,
25/2, Happy Towers, Idgah Hills, Bhopal.

(79-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जय विजय कास्ट्रक्शन कंपनी, पारस नगर, अनंतपुर से दिनांक 19 अप्रैल, 2012 से फर्म संरचना में परिवर्तन किया जाता है. फर्म से पृथक् किये गये पार्टनर का फर्म से किसी प्रकार का कोई लेनदेन नहीं रहेगा.

फर्म से पृथक् किये गये पार्टनर इस प्रकार है :—

1. श्री विजय सिंह

भवदीय

जय कुमार पाण्डेय,

प्रो./पार्टनर,

मैसर्स जय विजय कास्ट्रक्शन कंपनी,
पारस नगर, अनंतपुर, रीवा (म. प्र.).

(80-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स लक्ष्मी स्टोन्स, सुमेरपाडा, ग्वालियर फर्म में से दिनांक 08 जनवरी, 2013 से श्री वीएस. रावत पुत्र श्री रामजीलाल रावत एवं श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण श्रीवास्तव ने साझेदारी फर्म से सेवानिवृत्ति ले ली है एवं उसी दिनांक से श्री विपिन शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा साझेदार के रूप में शामिल किये गये हैं.

विपिन शर्मा,

पार्टनर,

M/s Laxmi Stones.

(81-बी.)

JAHIR SUCHNA

According to Provisions of partnership Act 1932 we are intimate to general public that our client M/s Sudershan Pulses. Address 249-250, Musakhedi, Indore whose registration no. Is 1648 of 1985-86 had entered 2 new partners in the firm with effect from 16.03.2013 named Smt. Pramila Gupta W/o Shri Prahladdas Gupta Resident of 31, Sanyogitaganj Indore and Smt. Vrunda Gupta W/o Shri Paresh Gupta Resident of 31, Sanyogitaganj Indore .

Indore 28.03.2013

From

Agrawal Jhavar Associates
Chartered Accountants.

Dharmendra Agerawal
Prop.

(82-B.)

JAHIR SUCHNA

According to Provisions of partnership Act 1932 we are intimate to general public that our client M/s Mahesh Chand Rajendra Kumar. Address 249-250, Musakhedi, Indore whose registration no. Is 2869 of 1976-77 had retire one partner with effect from 01.06.2012 named Smt. Geeta Gupta W/o Shri Ramnarayan Gupta Resident of 50, Sajjan Nagar, Indore and entered 1 new partners in the firm with effect from 01.06.2012 named Shri Navin Gupta S/o Shri Ramnarayan Gupta Resident of 50, Sajjan Nagar, Indore.

Indore 28.03.2013

From

Agrawal Jhavar Associates
Chartered Accountants

Dharmendra Agerawal
Prop.

(83-B.)

JAHIR SUCHNA

According to Provisions of partnership Act 1932 we are intimate to general public that our client M/s Sharad Industries. Address 249-250, Musakhedi, Indore whose registration no. Is 1645 of 1985-86 had entered 1 new partner in the firm with effect from 16.03.2013 named Shri Anil Gupta S/o Shri Ramnarayan Gupta Resident of 50, Sajan Nagar, Indore.

Indore 28.03.2013

From

Agrawal Jhavar Associates
Chartered Accountants

Dharmendra Agerawal
Prop.

(84-B.)

JAHIR SUCHNA

According to Provisions of partnership Act 1932 we are intimate to general public that our client M/s Vijay Dall Mill. Address 249-250, Sajan Nagar, Indore whose registration no. Is 278 of 1969-70 had retire 1 partner in the firm with effect from 01.04.2013 named Smt. Rekha Gupta W/o Shri Sunil Gupta R/o 50, Sajan Nagar, Indore .

Indore 20.04.2013

From

Agrawal Jhavar Associates
Chartered Accountants

Dharmendra Agerawal
Prop.

(85-B.)

JAHIR SUCHNA

According to Provisions of partnership Act 1932 we are intimate to general public that our client M/s Natraj Dall Mill. Address 159, Sajan Nagar, Indore whose registration no. Is 634 of 1973-74 had retire 2 partners in the firm with effect from 01.04.2013 named 1. Smt. Kusum Gupta W/o Shri Mahesh Chand Gupta R/o 75, Sneh Nagar, Indore, 2. Smt. Rajkumari Gupta W/o Shri Subhash Chand Gupta R/o 75, Sneh Nagar, Indore .

Indore 20.04.2013

From

Agrawal Jhavar Associates
Chartered Accountants

Dharmendra Agerawal
Prop.

(86-B.)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 27 अप्रैल, 2013

(राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2010, परीक्षा दिनांक 18 दिसम्बर, 2011 से 04 जनवरी, 2012 तक एवं

राज्य सेवा विशेष मुख्य परीक्षा-2010, परीक्षा दिनांक 03 फरवरी, 2013 से 10 फरवरी, 2013 तक)

वि. क्र. 17/12/2012/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-11/परीक्षा/2010/11 अक्टूबर, 2010 दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवम्बर, 2010, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2010 के आयोजन की सूचना दिनांक 28 नवम्बर, 2011, शुद्धि-पत्र क्रमांक-01/11/परीक्षा/2010, दिनांक 27 दिसम्बर, 2010, शुद्धि-पत्र क्रमांक-02/11/परीक्षा/2010, दिनांक 13 फरवरी, 2012, शुद्धि-पत्र क्रमांक-03/11/परीक्षा/2010, दिनांक 08 अक्टूबर, 2012, शुद्धि-पत्र क्रमांक-04/11/परीक्षा/2010, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 के अन्तर्गत राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2010 के 372 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2010, परीक्षा दिनांक 18 दिसम्बर, 2011

से 04 जनवरी, 2012 तक परीक्षा केन्द्र-मध्यप्रदेश के पाँच संभागीय मुख्यालयों इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं रीवा पर आयोजित की गई थी. माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के आदेश क्रमांक-डब्ल्यू.पी. 1506/2012/(एस), दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 एवं आर. पी. नं. 02/2013, दिनांक 04 जनवरी, 2013 के पालन में राज्य सेवा विशेष मुख्य परीक्षा इन्दौर केन्द्र पर दिनांक 03 फरवरी, 2013 से 10 फरवरी, 2013 तक आयोजित की गई थी.

उपरोक्त लिखित परीक्षा में कुल 4986 आवेदकों को प्रवेश दिये गये थे. इनमें से 1111 आवेदक साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह पाये गये हैं. परीक्षा परिणाम में भूतपूर्व सैनिक वर्ग के 21 उत्तीर्ण आवेदक कम प्राप्त हुए एवं अनुसूचित जाति के 03, श्रवण बाधित उत्तीर्ण अर्ह आवेदक कम प्राप्त हुए. समान अंक के 19 अर्ह आवेदक पाये गए. 02 आवेदकों के अंतिम चयनफल माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यायीन रहेंगे. इस लिखित परीक्षा का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक 17/12/2012/अनु. 10/दिनांक 27 अप्रैल, 2013 द्वारा घोषित किया गया है.

परीक्षा परिणाम आयोग कार्यालय के सूचना-पटल पर देखने के लिए उपलब्ध है तथा "रोजगार और निर्माण" के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है. इसे आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com एवं www.mppsc.nic.in पर देखा जा सकता है.

1. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा. एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.

2. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदक अनुप्रमाणन फॉर्म तीन प्रति एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म 6 प्रति में आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करके मूल आवेदन-पत्र की प्रति के साथ विज्ञापन की शर्तों के अनुसार समस्त जानकारी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र (चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जिसमें विकलांगता का प्रतिशत 40% या अधिक हो), भूतपूर्व सैनिक प्रमाण-पत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के समर्थन में आवश्यक है, संलग्न कर रजिस्टर्ड डाक द्वारा आयोग कार्यालय में दिनांक 21 मई, 2013 तक जमा कराना सुनिश्चित करेंगे. जिन आवेदकों के मूल आवेदन-पत्र के साथ अनुप्रमाणन फॉर्म की 3 प्रति, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म की 6 प्रति एवं आवश्यक प्रमाण-पत्र की प्रतियां सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 मई तक आयोग में प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं. इस स्थिति में उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

3. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों के आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.

4. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.

5. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की संवीक्षा एवं सूक्ष्म जाँच के उपरान्त ही अभिलेखों की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा. अर्ह आवेदकों को साक्षात्कार की सूचना पृथक् से भेजी जाएगी.

6. अर्ह आवेदकों का साक्षात्कार दिनांक 08 जुलाई, 2013 से प्रारंभ होंगे.

मधु खरे,
सचिव.

(263)

परीक्षा परिणाम

इन्दौर, दिनांक 27 अप्रैल, 2013

(राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2010, परीक्षा दिनांक 18 दिसम्बर, 2011 से 04 जनवरी, 2012 तक एवं

राज्य सेवा विशेष मुख्य परीक्षा-2010, परीक्षा दिनांक 03 फरवरी, 2013 से 10 फरवरी, 2013 तक)

वि. क्र. 17/12/2012/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-11/परीक्षा/2010/11 अक्टूबर, 2010, दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवम्बर, 2010, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2010 के आयोजन की सूचना दिनांक 28 नवम्बर, 2011, शुद्धि-पत्र क्रमांक-01/11/परीक्षा/2010, दिनांक 27 दिसम्बर, 2010, शुद्धि-पत्र क्रमांक-02/11/परीक्षा/2010,

दिनांक 13 फरवरी, 2012, शुद्धि-पत्र क्रमांक-03/11/परीक्षा/2010, दिनांक 08 अक्टूबर, 2012, शुद्धि-पत्र क्रमांक-04/11/परीक्षा/2010, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 के अन्तर्गत राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2010 के 372 पदों (अनारक्षित 203, अनुसूचित जाति-058, अनुसूचित जनजाति-063 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-048 हैं) इनमें से विकलांग के 22 पद हैं जो अस्थिबाधित, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित के श्रेणीवार हैं. भूतपूर्व सैनिक-10 इनमें अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सम्मिलित हैं. इनमें महिलाओं के लिए कुल 106 पद आरक्षित हैं. (अनारक्षित 58, अनुसूचित जाति-017, अनुसूचित जनजाति-018 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-013 हैं) उक्त परीक्षा दिनांक 18 दिसम्बर, 2011 से 04 जनवरी, 2012 तक मध्यप्रदेश के पाँच संभागीय मुख्यालयों इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं रीवा केन्द्रों पर आयोजित की गई थी. माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के आदेश क्रमांक-डब्ल्यू.पी. 1506/2012/(एस), दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 एवं आर. पी. नं. 02/2013, दिनांक 04 जनवरी, 2013 के पालन में राज्य सेवा विशेष मुख्य परीक्षा इन्दौर केन्द्र पर दिनांक 03 फरवरी, 2013 से 10 फरवरी, 2013 तक आयोजित की गई थी.

उपरोक्त लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु 1111 प्रावधिक अर्ह पाये गये हैं. अधिक उम्र से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों के अन्तर्गत अर्ह आवेदकों का अंतिम चयन उनसे संबंधित रिट याचिका के निर्णय के अध्याधीन रहेगा. परीक्षा परिणाम निम्नानुसार है :-

मध्यप्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2010 एवं विशेष मुख्य परीक्षा-2010

परीक्षा परिणाम

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

STATE CIVIL SERVICE MAIN EXAMINATION 2010 & SPECIAL MAIN EXAM 2010

ROLL NO. WISE LIST OF SUCCESSFUL CANDIDATES

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
1.	100286	RAMESH BHASKALE	
2.	100662	GYAN RATNA SHARMA	
3.	100668	HEMANT KHR	
4.	100705	KAMLESH PATIDAR	
5.	100773	MANISH KUMAR KALWAR	
6.	100776	MANISHA JAT	
7.	101132	SONALI BAGHEL	
8.	101196	VARSHA SHRIVAS	
9.	101340	KAMAL KISHOR	
10.	102023	DINESH KUMAR FULDIYA	
11.	103936	LOKESH AHUJA	
12.	103962	MANISH KUSHWAHA	
13.	104095	NIHIT UPADHAYAY	
14.	104224	PRIYANKA JAIN	
15.	104225	PRIYANKA NETAM	
16.	105099	AJAY SINGH VARMA	
17.	105104	AKHILESH MISHRA	
18.	105150	ANIL KUMAR KAUSHAL	
19.	105174	ANVITI TIWARI	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
20.	105356	GARIMA RAWAT	
21.	105357	GARIMA TRIPATHI	
22.	105544	MAHENDRA SINGH VAISH	
23.	105546	MAHESH KHANDEGAR	
24.	105636	MUNNA AD	
25.	105665	NIREESH KUMAR RAJPUT	
26.	105676	NITIN CHOUHAN	
27.	105729	PRAMILA SHERE	
28.	105740	PRATISHTHA JAIN	
29.	105782	RADHESHYAM VERMA	
30.	105853	RAMSINGH DAMOR	
31.	105860	RATAN LAL SOLANKI	
32.	105968	SATENDRA SINGH GURJAR	
33.	106003	SHASHI KANTA KESHARI	
34.	106270	CHHAYA TAILOR	
35.	106338	KAMAL SARYAM	
36.	106466	PRASANN KUMAR JAIN	
37.	106499	RAJNEESH PURI GOSWAMI	
38.	106591	SHOBHA CHAUHAN	
39.	106639	VIJAY SINGH SIRSAM	
40.	106735	BABUSINGH ESKE	
41.	106757	BRAHMA DEEP ALUNE	
42.	106994	RACHNA PANDYA	
43.	107109	SUDEEP BIRLA	
44.	107319	AKHILESH SHARMA	
45.	107545	ANSHU JAWALA	
46.	107720	ASHUTOSH UPADHYAY	
47.	107787	BALU SINGH SASTIYA	
48.	107870	BIMLESH KUMAR GUPTA	
49.	107875	BISAN SINGH MOURYA	
50.	107886	BRIJESH JINWAL	
51.	107990	DEEPAK KUMAR SHARMA	
52.	108014	DEEPIKA MESHARAM	
53.	108015	DEEPIKA RAMTEKE	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
54.	108037	DEVENDRA KUMAR YADAV	
55.	108066	DHANNA LAL DANGI	
56.	108152	DINESH KUMAR UIKEY	
57.	108155	DINESH MISHRA	
58.	108180	DISHESH AGRAWAL	
59.	108234	GAJENDRA SINGH YADAV	
60.	108277	GAURISHANKAR JATAV	
61.	108325	GULAB SINGH MEENA	
62.	108376	HEMANT CHAUHAN	
63.	108425	HIRNEY ENDU BARDE	
64.	108426	HITENDRA KASHIKAR	
65.	108478	JAISHREE RATHORE	
66.	108494	JAY PARIHAR	
67.	108566	JITENDRA SINGH TOMAR	
68.	108577	JWELIKA VYAS	
69.	108578	JYOTI VERMA	
70.	108596	JYOTI DIXIT	
71.	108611	KAILASH CHAUHAN	
72.	108647	KAMAL SINGH TAWAR	
73.	108692	KARMENDRA SAWALE	
74.	108742	KIRTI SINGORIYA	
75.	108792.	KULDEEP CHOUBEY	
76.	108811	KUSUM PAWAR	
77.	108816	LAKHAN SINGH SISODIYA	
78.	108864	LOVENEET KORI	
79.	108874	MADHU NAYAK	
80.	109084	MARISHA SHINDE	
81.	109103	MEENAKSHI JAYASWAL	
82.	109143	MOHAMMAD YUSUF KHAN	
83.	109227	NAMAN UPADHYAYA	
84.	109254	NARENDRA GOUTAM	
85.	109488	OMPRAKASH PATIDAR	
86.	109671	PRASHANT NAGDEVE	
87.	109683	PRASHANT SINGH SUMAN	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
88.	109684	PRASHANT SINGH TOMAR	
89.	109729	PRAVEEN SHRIVAS	
90.	109748	PREETI SANGHVI	
91.	109751	PREETI AGRAWAL	
92.	109752	PREETI BHISE	
93.	109832	PUNIT SHUKLA	
94.	109925	RAHUL KHARE	
95.	109957	RAJ KUMAR BAGRI	
96.	109980	RAJENDRA MEHRA	
97.	110120	RAM SINGH SASTIYA	
98.	110179	RANJNA PATNE	
99.	110235	RAVINDRA BILWAL	
100.	110317	RITESH TANDIYA	
101.	110410	SACHIN KUMAR BHILWARE	
102.	110555	SANTOSH KUMAR AGRAWAL	
103.	110578	SAPANA KHARTE	
104.	110747	SH ASHWAT SINGH MEENA	
105.	110867	SIMMI JAIN	
106.	110926	SOUMMYA JAIN	
107.	110992	SUNIL JAT	
108.	111018	SUNITA RATHORE	
109.	111073	SURESH SINGH RAGHUVANSHI	
110.	111098	SWATI JAIN	
111.	111107	TANUJA MALVIYA	
112.	111145	UDAY BHAN SINGH VERMA	
113.	111152	UDAYPRATAP SINGH	
114.	111207	VANDANA RAJPUT	
115.	111235	VEENA GUPTA	
116.	111329	VIMLESH RATHORE	
117.	111331	VINAY RAWAT	
118.	111387	VIRENDRA SINGH BAGHEL	
119.	111526	ABHISHEK GEHLOT	
120.	111538	ABHISHEK KUMAR BEOHAR	
121.	111579	AJAY MUJALDE	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
122.	111608	AJENDRA NATH PRAJAPATI	
123.	111646	AKHLESH UPADHAYAY	
124.	111649	AKLESH MALVIYA	
125.	111667	ALOK KUMAR SHARMA	
126.	111769	AMRITA SHRIVASTAVA	
127.	111815	ANIL SHARMA	
128.	111891	ANITA BIRLA	
129.	111929	ANJNA NAGAR	
130.	111959	ANKITA NAGWANSHI	
131.	111960	ANKITA PANDYA	
132.	111985	ANTAR SINGH KANESH	
133.	111994	ANTIM KUMAR JAISWAL	
134.	112024	APARNA SAHU	
135.	112064	ARCHANA THAKUR	
136.	112086	ARPANA MESHARAM	
137.	112107	ARTI CHADAR	
138.	112281	AVINASH BARIYA	
139.	112356	BHAGATSINGH CHOUHAN	
140.	112496	BRIJENDRA MOURYA	
141.	112536	CHANDRA KUNWAR SINGH	
142.	112594	CHITRANSHI DAMOR	
143.	112646	DEEPAK DESHMUKH	
144.	112677	DEEPAK KUMAR AWASTHI	
145.	112741	DEV SINGH MALVIYA	
146.	112824	DHARMENDRA BISEN	
147.	112902	DILIP LAKHERA	
148.	113020	DR. BHAGWAT SINGH RAI	
149.	113049	DURGAWATI WAGELA	
150.	113070	GABBU DAWAR	
151.	113090	GAJENDRA SINGH YADAV	
152.	113229	GULAB SINGH THAKUR	
153.	113256	HARENDRA KUMAR GOUTAM	
154.	113341	HEMLATA MUVEL	
155.	113445	JAGDISH PRASAD BILORE	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
156.	113503	JAYPAL SINGH SOLANKI	
157.	113513	JEET SINGH DHURWEY	
158.	113553	JITENDRA ALAWA	
159.	113568	JITENDRA KUMAR WAGELA	
160.	113631	JYOTI UMATH	
161.	113660	JYOTI RAWAT	
162.	113718	KALU SINGH BAGHEL	
163.	113873	KAVITA CHOUHAN	
164.	113964	KISHORE PATEL	
165.	114317	MAHESH SINNGH SOLANKI	
166.	114329	MALA AHIRWAR	
167.	114352	MAMTA JAMORIYA	
168.	114375	MANEESH KUMAR SOLANKI	
169.	114404	MANISH VYAS	
170.	114544	MANOJ KUMAR SHIVHARE	
171.	114709	MOHINI VERMA	
172.	114712	MOHIT BHARTI	
173.	114765	MUKESH PATLE	
174.	114905	NARENDRA KUMAR GOSWAMI	
175.	114910	NARENDRA PAL RUHAL	
176.	114939	NAVEEN DUBEY	
177.	114949	NAVIN PRATAP SINGH TOMAR	
178.	114991	NEETA NAIDU	
179.	115052	NIDHI SHARMA	
180.	115109	NIRANJAN SINGH DODVE	
181.	115129	NIRMALA RATHORE	
182.	115167	NITIN BAGHEL	
183.	115176	NITIN CHOURASIA	
184.	115199	NUTAN PANWAR	
185.	115248	PANKAJ DASONDHI	
186.	115410	POOJA RATHORE	
187.	115511	PRAKASH PARIHAR	
188.	115610	PRAVEEN KUMAR GUPTA	
189.	115625	PRAVESH HARGAONKAR	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
190.	115650	PREETI NAGENDRA	
191.	115660	PREM RATHORE	
192.	115711	PRIYAM MAHESHWARI	
193.	115716	PRIYANKA DUDWE	
194.	115843	RADHESHYAM SOLANKI	
195.	115982	RAJESH GUPTA	
196.	116090	RAJNISH KUMAR TRIPATHI	
197.	116156	RAKHI RATHORE	
198.	116180	RAMADEVI KALWA	
199.	116219	RAMESHWAR MUWEL	
200.	116245	RAMVEER SINGH RAJPOOT	
201.	116294	RANJITA BAWRE	
202.	116313	RASHMI CHOUHAN	
203.	116319	RASHMI SAHU	
204.	116385	RAVINDRA KUMAR CHAURASIA	
205.	116422	REENA SHARMA	
206.	116457	REETA NATH	
207.	116528	RHISHIKESH VAIDYA	
208.	116603	ROHIT LAKHARE	
209.	116614	ROMA SONKAR	
210.	116621	ROSHAN RAI	
211.	116748	SAMITA MURADIYA	
212.	116769	SANDEEP CHANDNE	
213.	116788	SANDEEP MEENA	
214.	116886	SANJAY GAHARWAL	
215.	117091	SATISH DHAKAR	
216.	117133	SAVITA MAKWANA	
217.	117292	SHASHIKANT SARYAM	
218.	117454	SHWETA RAWAT	
219.	117562	SONAM JAIN	
220.	117645	SUMAN BATHAM	
221.	117689	SUNIL JAT	
222.	117702	SUNIL VERMA	
223.	117794	SUNITA SAHANI	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
224.	117827	SURENDRA MARAVI	
225.	117983	TRIPTI DIXIT	
226.	118071	VANDANA CHOUHAN	
227.	118163	VIJAY TALWARE	
228.	118230	VIJENDRA BIJOLIYA	
229.	118277	VIKRAM MANDLOI	
230.	118420	VISHAL SINGH GOUND	
231.	118493	YASHWANT SITOLE	
232.	118550	DEEPAK KUMAR MANDLOI	
233.	119200	RADHA MEENA	
234.	119651	PRAMOD TIWARI	
235.	119787	ARUN SHARMA	
236.	119921	JAYSHANKAR SHARMA	
237.	120266	BHIM SINGH MASANIA	
238.	121099	RAJESH RATHORE	
239.	121452	AJAY MALVIYA	
240.	121535	ANOOP KUMAR SHRIVASTAVA	
241.	121699	DINESH KUMAR SONARTIYA	
242.	121814	JAYANT GUPTA	
243.	121817	JEEWAN LAL MOGHI	
244.	121901	KSHIPRA SEN	
245.	122054	NARENDRA SOLANKI	
246.	122186	PREETI CHOUHAN	
247.	122204	PRIYANKA JAISWAL	
248.	122245	RAJENDRA SINGH BARODE	
249.	122342	RINKU SHARMA	
250.	122448	SHAKTI SHARMA	
251.	122535	SUNIL KUMAR MALVIYA	
252.	122892	DR SEEMA KHANDEGAR	
253.	122909	GANESH KUMAR JAISWAL	
254.	123144	MEENAKSHI HARVANSH	
255.	123166	MONIKA SAXENA	
256.	123311	PRIYANKA CHOUHAN	
257.	123927	DILIP KUMAR SINGH	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
258.	124287	HALDHAR PRASAD MISHRA	
259.	124330	RAGHVENDRA SINGH	
260.	124357	SANJEEV KUMAR MISHRA	
261.	124361	SHANTI BHUSHAN TRIPATHI	
262.	124490	MAHENDRA KUMAR SHUKLA	
263.	124512	NEHA JAIN	
264.	124522	POONAM SHRIVASTAVA	
265.	125568	SATISH KUMAR UPADHYAY	
266.	125762	JAISINGH SHIKARWAR	
267.	125873	NITIN GOND	
268.	126304	SUKRITI OSWAL	
269.	126445	ARCHANA GUPTA	
270.	126568	SUNIL KUMAR MEENA	
271.	126826	SUNIL MORE	
272.	126979	RAVINDRA DEWADA	
273.	127016	TARINI JOHARI	
274.	127113	AVINASH NAGLE	
275.	127326	MAHALAXMI SINGH	
276.	127464	PINTOO KUMAR BAGHEL	
277.	127719	SHUBHAM SONI	
278.	128006	ARVIND KUMAR CHOUHAN	
279.	129042	HEMANT KUMAR ARYA	
280.	129079	KIRAN YADAV	
281.	129127	NARENDRA KUMAR MISHWAR	
282.	129204	RAVINDRA SINGH CHOUHAN	
283.	129750	KIRAN RAJURE	
284.	130256	RUPALI SONI	
285.	130948	ARCHANA PARIHAR	
286.	130956	ARUN KUMAR KAIN	
287.	131020	DHANESHWAR DYAL GAUR	
288.	131064	JYOTI KAIN	
289.	131158	PAVANJEET SINGH ARORA	
290.	131159	PAWAN SHARMA	
291.	131263	SANJEEV KUMAR PATHAK	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
292.	131293	SHISHUPAL SINGH KIRAR	
293.	131304	SNEHLATA PATHYA	
294.	131318	SUNIT KUMAR MISHRA	
295.	131343	VARSHA PARIHAR	
296.	131416	BHAWNA SHARMA	
297.	131573	RIZUTA CHAUHAN	
298.	131620	VANDANA CHOUHAN	
299.	131842	AMIT SINGH CHANDEL	
300.	132890	PRAMOD SHAKYA	
301.	133047	ARTEE YADAV	
302.	133100	MALA SHARMA	
303.	133282	ADITYA KUMAR PRAJAPATI	
304.	133665	ARUN KUMAR SINGH	
305.	134454	KAUSHLENDRA SINGH MAWAI	
306.	134859	NADEEM KHAN	
307.	135188	PRASHANT SALVEY	
308.	135341	RAHUL KUMAR ISHWAR	
309.	135803	SANDEEP KUMAR TIWARI	
310.	136204	SUDHAKAR PRASAD TIWARI	
311.	136455	VIKAS KUMAR	
312.	136458	VIKAS YADAV	
313.	136672	AJAY PRAKASH LODHI	
314.	136969	DHIRENDRA SAHU	
315.	137059	JANKI UIKEY	
316.	137335	PAWAN KUMAR BANSAL	
317.	137419	PUSHPENDRA KUMAR KUSHWAHA	
318.	137452	RAJANI SINGH	
319.	137839	UMESH KUMAR PANDEY	
320.	137995	AJIT KUMAR	
321.	137999	AKEEL AHMED	
322.	138021	AMIT KUMAR RINAHITE	
323.	138046	ANKIT KUMAR	
324.	138141	DHARMENDRA RAJPUT	
325.	138221	KAMLESH KUMAR	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
326.	138261	MADHULIKA SINGH	
327.	138269	MAMTA SHARMA	
328.	138289	MANOJ KUMAR PANDEY	
329.	138304	MOHAN SINGH RAJPUT	
330.	138468	RAMAWATAR UPADHYAY	
331.	138520	SACHCHITA NAND TRIPATHI	
332.	138801	AJAY KUMAR RITHORIYA	
333.	138807	AJAY KUMAR OJHA	
334.	138850	AKHILESH SINGH NARWARIA	
335.	138858	AKSHAT BUNDELA	
336.	138878	AMAR SINGH RATHOUR	
337.	138894	AMIT YADAV	
338.	138911	AMIT KUMAR MISHRA	
339.	138954	ANAND KUMAR	
340.	139024	ANJU KAURAV	
341.	139052	ANPA KHAN	
342.	139104	ARBIND KUMAR UPADHYAY	
343.	139158	ARVIND BHADKARIYA	
344.	139328	BHARAT SINGH NAYAK	
345.	139349	BHIMADARSH MUKESH BODHYA	
346.	139466	CHHAYA RAI	
347.	139592	DEVESH BATHAM	
348.	139662	DINESH KUMAR	
349.	139673	DINESH KUMAR MALVIYA	
350.	139685	DINESH SINGH TOMAR	
351.	139697	DIVYA AWASTHI	
352.	139711	DR MANOJ KUMAR GUPTA	
353.	139713	DR. ADITYA KUMAR TIWARI	
354.	139751	GAJENDRA SIKARWAR	
355.	139757	GAJENDRA SINGH BATHAM	
356.	139933	HERANDRE SHARMA	
357.	140102	JYOTSNA BHADKARIA	
358.	140113	KALPANA K	
359.	140234	KRISHNA RAWAT	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
360.	140270	KULDEEPAK KUMAR DUBEY	
361.	140372	MAHENDRA PARIHAR	
362.	140438	MANISH CHOUDHRY	
363.	140476	MANJIT SINGH CHAWLA	
364.	140490	MANOJ MAHOBIYA	
365.	140512	MANOJ KUMAR TEHANGURIA	
366.	140633	MUKESH SINGH RAWAT	
367.	140649	NAMRATA RUHI	
368.	140681	NARENDRA SINGH PIPPAL	
369.	140818	NISHANT KUMAR	
370.	141004	PRACHI SHARMA	
371.	141185	PRIYANKA SINGH	
372.	141293	RAHUL UPADHYAY	
373.	141322	RAJEEV KUMAR PUROHIT	
374.	141380	RAJKISHOR SINGH GURJAR	
375.	141428	RAKESH KUMAR OJHA	
376.	141499	RANJANA BHADORIA	
377.	141503	RANJEET SINGH	
378.	141507	RANJEETA RATHORE	
379.	141509	RANU CHHARI	
380.	141554	RAVI SHAKYA	
381.	141581	RAVINDRA SINGH JADON	
382.	141646	RISHIKESH SAHPURI	
383.	141655	RITU KEVRE	
384.	141737	SACHIN SHARMA	
385.	141790	SANGEETA SINGH	
386.	141795	SANGH PRIY SAMRAT	
387.	142024	SHARAD PARSAI	
388.	142044	SHAYARA KHAN	
389.	142055	SHIKHA PORAS	
390.	142166	SOMYA PUSHP KAMTHAN	
391.	142273	SUNIL KUMAR PRABHAS	P
392.	142274	SUNIL KUMAR PRAJAPATI	
393.	142381	TILAK RAJ YADAV	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
394.	142484	VIJAY KUMAR TRIPATHI	
395.	142505	VIJAY SINGH NAGAR	
396.	142550	VIKRAMJIT SINGH KANG	
397.	142802	AJAY SHANKAR YADAV	
398.	142885	AMIT KUMAR SHARMA	
399.	142965	ANIRUDDHA KHANWALKAR	
400.	143040	ANURANJAN KUMAR ANUJ	
401.	143169	ASHUTOSH KHARE	
402.	143316	BINDUSAR SINGH KUSHWAH	
403.	143484	DEEPU SINGH CHAUHAN	
404.	143503	DEVENDRA SHARMA	
405.	143657	GAJENDRA SINGH LODHI	
406.	143728	GYANENDRA KUMAR SHARMA	
407.	144274	MANJARI BHARDWAJ	
408.	144361	MEENU MAGRAIYA	
409.	144471	NAGENDRA SINGH GURJAR	
410.	144527	NAVEEN KUMAR GOSWAMI	
411.	144534	NAVIN KUMAR	
412.	144608	NEETU SHARMA	
413.	144661	NISHA SHANKHWAR	
414.	144820	PRADEEP SINGH BHADOURIA	
415.	144850	PRASHANT ARYA	
416.	144924	PREM KUMAR SAGAR	
417.	144957	PRIYANKA SINGH	
418.	145017	RAGHVENDRA SINGH RAWAT	
419.	145269	RAVEESH SINGH BHADAURIA	
420.	145420	ROSHAN SINGH BATHAM	
421.	145563	SAPNA TIWARI	
422.	145722	SHASHI KAPOOR GADPALE	
423.	145792	SHUBHRATA TRIPATHI	
424.	145897	SUJEET SINGH BHADAURIA	
425.	145904	SUMAN BISORIYA	
426.	145919	SUNDEEP SHRIVASTAVA	
427.	146086	USHA RANA	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
428.	147919	JAGDISH SINGH BHIL	
429.	147937	MANISH SHRIVASTAVA	
430.	148214	DEWAN SINGH KIRAR	
431.	148295	MAHESH SHIVHARE	
432.	148311	MONIKA THAKUR	
433.	148354	PREMLATA PAL	
434.	148368	RAJEEV PARIHAR	
435.	148400	REKHA TIWARI	
436.	148410	SABITA PARIHAR	
437.	148477	VEERENDRA SINGH DHAKAD	
438.	148486	VINEET GOYAL	
439.	148522	ALOK KUMAR BHARGAVA	
440.	148523	ALOK SHRIVASTAVA	
441.	148540	ANAND KUMAR MEENA	
442.	148587	ARJUN SINGH SOLANKI	
443.	148611	ASHISH KUMAR SHILPI	
444.	148619	ASHOK MEENA	
445.	148711	DEEPIKA RAWAT	
446.	148717	DEVENDRA PANT	
447.	148765	FAIMIDA BANO	
448.	148774	GAJRAJ SINGH AHIRWAR	
449.	148781	GIRIJA JATAV	
450.	148783	GIRJESH KUMAR SWAMI	
451.	148787	GIRRAJ SINGH TOMAR	
452.	148809	HEMANT JATAV	
453.	148813	HEMLATA AGRAWAL	
454.	148882	KEDAR PRASAD SHARMA	
455.	149041	NANDKISHOR DAILBAR	
456.	149079	NEHA SHIVHARE	
457.	149270	RANJANA SONI	
458.	149289	RAVINDRA KUMAR SURYAVANSHI	
459.	149325	SACHIN SAXENA	
460.	149360	SANJEEV KUMAR KIRAR	
461.	149396	SATYENDRA LODHA	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
462.	149445	SHRUTIKA RAI	
463.	149452	SMITA RATHORE	
464.	149499	SUNEEL SHARMA	
465.	149519	SURESH JADAV	
466.	149571	VIKRAM SINGH RATHORE	
467.	150066	SANTOSH KUMAR GUPTA	
468.	150307	CHANDRA PAL GUPTA	
469.	150426	NITIN KUMAR TALE	
470.	150798	PAWAN VERMA	
471.	150882	ARCHANA BAJPAI	
472.	150926	LAXMI PRASAD AHIRWAR	
473.	151317	MADHUR MISHRA	
474.	151416	NITIN BHATT	
475.	151444	PRACHI SINGH CHANDEL	
476.	151449	PRADEEP MISHRA	
477.	151538	RAM SUPHAL KORI	
478.	151550	RAMHIT VYAS	
479.	151611	SANJANA VARMA	
480.	151737	VINDHYA YADAV	
481.	153328	AKHILESH SHIVWEDI	
482.	153401	BINDIYA MAHOBIYA	
483.	153792	SANJAY SOMKUWAR	
484.	154033	KU JYOTI RANI BRAMHE	
485.	154049	NAMAN JAIN	
486.	154143	SHYAM SINGH THAKUR	
487.	154529	ABHIJEET PACHORI	
488.	154722	DOLLY PERTETI	
489.	154788	JAY. N. DUBEY	
490.	154829	KAMLESH KUMAR TANDEKAR	
491.	154946	MOHAMMAD SIRAJ	
492.	154964	MONIKA BISEN	
493.	155104	PRATIMA SONKESHARIYA	
494.	155283	SANTOSH KUMAR BANGDE	
495.	155375	SHUBHANK KHARE	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
496.	155557	AJAY CHAURAGADE	
497.	155764	ARVIND KUMAR KARPETI	
498.	155858	BHAGWANTI MARSKOLE	
499.	156189	HEMESHWARI RAHANGDALE	
500.	156986	PRAVIN KUMAR MARAVI	
501.	157003	PREETI RANI CHOURASIA	
502.	157479	SANGITA CHOUREY	
503.	157602	SATISH MANOTE	
504.	157620	SAVITA PATIL	
505.	158911	ANAMIKA UPADHYAY	
506.	159062	MAHESH KUMAR VISHWAKARMA	
507.	159392	MADHUSUDAN DIWAN	
508.	159433	POONAM SONI	
509.	159447	PURNIMA BHAGAT	
510.	159531	URMILA LAL	
511.	159543	VIVEK KUMAR PARASTE	
512.	161434	SHASHI MOHAN SEN	
513.	161613	DR. NAVIN KUMAR KACHHI	
514.	161989	ARADHANA GARG	
515.	162069	BABITA RAJPUT	
516.	162085	BHARAT BIRHA	
517.	162222	EKTA SONKAR	
518.	162602	PANKAJ KUMAR SHUKLA	
519.	162626	POOJA SHARMA	
520.	162657	PRAMESH JAIN	
521.	162987	SAURABH KUMAR	
522.	163056	SHRADDHA TIWARI	
523.	163204	VANSHREE KURVETI	
524.	163258	VINAY KUMAR KOL	
525.	163344	ARUNA KUMARI	
526.	163574	SABENDRA SINGH SIKARWAR	
527.	163977	RAJNISH KUMAR KUSHWAHA	
528.	164295	ANIMESH TIWARI	
529.	164490	BHAGWAN SINGH DHURVEY	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
530.	164507	BHAVNA DEEN	
531.	164514	BHUPENDRA SINGH PARASTE	
532.	164582	DEEPAK NAYAK	
533.	164782	JEEVENDRA SINHG	
534.	164932	MAMTA KULASTE	
535.	164937	MANEESH KUMAR SHUKLA	
536.	164967	MANJUSHA SHARMA	
537.	165493	RATNESH BHADORIYA	
538.	165544	RITESH PATEL	
539.	165584	RUCHI YADAV	
540.	165651	SANJAY KAWARE	
541.	165676	SANTOSH PAUL	
542.	165758	SHAILENDRA THAKUR	
543.	165934	SUMIT KERKETTA	
544.	166071	VARSHA CHADDHA	
545.	166132	VIPIN DAHARIA	
546.	166181	YOGESH DUBEY	
547.	166203	AARTI YADAV	
548.	166220	ABHINANDANA SHARMA	
549.	166243	ADITI DUBEY	
550.	166301	AKHILESH KUMAR CHADAR	
551.	166357	AMIT KUMAR MARAVI	
552.	166365	AMIT KUMAR TRIPATHI	
553.	166387	AMRITA JAISWAL	
554.	166426	ANIL MANDRAH	
555.	166485	ANKIT BHASIN	
556.	166528	ANURAG PATEL	
557.	166605	ARUN PRATAP SINGH NIRANJAN	
558.	166622	ARVIND LODHI	
559.	166661	ASHISH SONKER	
560.	166667	ASHOK KHAPARDE	
561.	166732	BALRAM THAKUR	
562.	166814	BRIJESH NARAYAN PANDEY	
563.	166883	DEEPA SINGH	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
564.	166992	DHARMENDER KUMAR JHARIYA	
565.	167318	JITENDRA KUMAR GUPTA	
566.	167397	KAMAL DUTT SHARMA	
567.	167510	KRISHNA KUMAR DEHARIYA	
568.	167693	MANEESHA TIWARI	
569.	167855	MONIKA TIWARI	
570.	167997	NEERAJ NAMDEO	
571.	168043	NIDHI MAHOVIA	
572.	168204	POONAM AHIRWAR	
573.	168291	PRANAY SHANKER PANDYA	
574.	168303	PRASHANT KUMAR GONTIA	
575.	168312	PRATIBHA JAIN	
576.	168499	RAINA TAMIYA	
577.	168566	RAJESH YADAV	
578.	168685	RANJEET TARAM	
579.	168715	RASHMI GUPTA	
580.	168742	RATNESH PARTETI	
581.	168824	RICHA MISHRA	
582.	168936	SADHANA SINGRAM	
583.	168971	SANDEEP GHANGHORIA	
584.	168989	SANDHYA PATEL	
585.	168997	SANDIP JAISWAL	
586.	169049	SANTOSH KUMAR DEHARIYA	
587.	169117	SARITA NAYAK	
588.	169175	SAURABH VERMA	
589.	169344	SHIKHA YADAV	
590.	169401	SHRADDHA CHOUKSEY	
591.	169407	SHRADDHA SONKAR	
592.	169452	SHWETA SINGH	
593.	169512	SNEHA THAWAIT	
594.	169525	SONAM BHAGAT	
595.	169582	SULEKHA THAKUR	
596.	169585	SULTAN SHAH	
597.	169587	SUMAN LATA MARAVI	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
598.	169838	VANDANA SHARMA	
599.	169849	VANIVILAS SHARMA	
600.	169930	VIKAS TIWARI	
601.	170089	YOGITA KARTIK	
602.	170102	ARUN SINGH	
603.	170125	NEETU VISHWAKARMA	
604.	171716	JITENDRA KUMAR PARIHAR	
605.	171750	KIRAN GEHLOT	
606.	171769	LAXMAN SINGH DINDOR	
607.	171828	NITESH DAMOR	
608.	171927	ROSHNI BILWAL	
609.	172106	APEKSHA BILWAL	
610.	172699	MAYA BARIYA	
611.	173845	ABHINAV RAHUL	
612.	173939	RAJESH KUMAR GUPTA	
613.	174037	VIDIT SIRVAIYA	
614.	174091	PRAHLAD SINGH DANGI	
615.	174136	ALOK KUMAR JAIN	
616.	174210	SANJAY JAIN	
617.	174211	SANJAY KUMAR JAIN	
618.	174216	SHAILESH KUMAR JAIN	
619.	174338	JINENDRA KUMAR JAIN	
620.	174341	JITENDRA KUMAR JAIN	
621.	174391	MOHIT JAIN	
622.	174476	ROHIT BADKUL	
623.	174483	RUPESH KUMAR JAIN	
624.	174491	SANJAY KUMAR JAIN	
625.	174517	SHIVANI JAIN	
626.	174713	AWANISH UPADHYAY	
627.	174923	DEEPA NARBARIA	
628.	175362	ASHUTOSH DUBEY	
629.	175664	JEET SINGH YADAV	
630.	175674	JYOTI RAJPUT	
631.	175716	MUKUL KUMAR GUPTA	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
632.	176047	SULEKHA HAZARI	
633.	176256	SHAIWAL SINGH	
634.	176439	SANTOSH SHANKAR CHOUDHARY	
635.	176526	AJAY KUMAR ARYA	
636.	176734	MANVENDRA SINGH RAJPUT	
637.	176812	SUNIL KUMAR SHUKLA	
638.	176919	GANESH PANDEY	
639.	177086	PRAVEEN DUBEY	
640.	177232	SONIKA SINGH PARIHAR	
641.	178321	HEMLATA BARONIYA	
642.	178367	KAILASH CHANDRA MALVIYA	
643.	178401	KUMAR ABHISHEK KHARE	
644.	178556	RAKESH KUMRE	
645.	179411	KAPIL KUMAR SINGH MANGODIA	
646.	179970	KAILASH SASTYA	
647.	180053	NIRBHAY SINGH PATEL	
648.	180128	RINKI BAMNIYA	
649.	180146	SANJAY KUMAR GARG	
650.	180200	TARACHAND NARGAWE	
651.	180220	VISHNU SONI	
652.	180813	MAHESH SINGH KUSHWAH	
653.	181002	PARSHRAM SHARMA	
654.	181102	RADHUSINGH GAWLI	
655.	181177	RAMESH KUMAR TEKAM	
656.	181235	RESHAM GAWALI	
657.	181574	VARSHA CHOUHAN	
658.	181706	ASHISH SHRIVASTAVA	
659.	182051	IQBAL MOHAMMAD RUNGRAGE	
660.	182299	PURAN SINGH THAKUR	
661.	182352	AMIT SINGH BHAMAROLIYA	
662.	182545	ABHISHEK CHOUDHARY	
663.	182765	NEERAJ TAKHARYA	
664.	182813	PRIYANKA PATEL	
665.	183753	GOPALKRISHNA SHRIMAL	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
666.	183830	RAMESH CHANDRA ARYA	
667.	183913	SHAILESH VERMA	
668.	183930	CHETNA GEHLOD	
669.	184110	MADAN MURARI PRAJAPATI	
670.	184462	JAGPAL SINGH YADAV	
671.	184519	MUKESH KUMAR BARHOLIYA	
672.	184559	RAJ KUMAR AHIRWAR	
673.	185358	ANIL PATIDAR	
674.	185567	SANTOSH DAWAR	
675.	186895	KUMBHKARAN MOURYA	
676.	187088	NANDRAM CHOUHAN	
677.	187219	PRITI BALA SASTE	
678.	187535	SHAIENDRA SINGH ALAWE	
679.	188010	BHAWANA SHRIWAS	
680.	188027	DILIP HANWAT	
681.	188071	KAVITA MARKO	
682.	188395	SHIKO KICHOLIYA	
683.	188491	DEVARLAL PATLE	
684.	188980	ANIL KUMAR WASNIK	
685.	189057	CHYENDRA KUMAR BUDDEKAR	
686.	189259	MINAKSHI MERA VI	
687.	189284	NEETU JAISWAL MAHORE	
688.	189448	SHYAM NANDAN CHANDELE	
689.	189478	SURENDRA SINGH GAUTAM	
690.	189624	DIGAMBER DASHARIYE	
691.	189653	HOMENDRA PATLE	
692.	189706	MEENA DASHARIYE	
693.	189773	RAVINDRA KUMAR LILHARE	
694.	189821	SMRRITE KHANDELAWAL	
695.	189824	SOMDUTT DIXIT	
696.	190425	ANIL KUMAR ADE	
697.	190488	ASHOK MAHORE	
698.	190527	BHEEKHAM SINGH DHURWEY	
699.	191186	RAMANAND MESHRAM	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
700.	191215	RAVINDRA KHOBRADE	
701.	191221	RAVISHANKER RANA	
702.	191230	REETI SONWAY	
703.	191297	SANGEETA PANDEY	
704.	191436	SMT. ARADHANA TEMBHRE	
705.	191486	SURESH BAROLE	
706.	191567	VIDYA PANDEY	
707.	191637	YASHPAL MEHRA	
708.	191728	ANIHA SINGH	
709.	192631	LAKESH UKE	
710.	192746	MAHESH KUMAR LATARE	
711.	192815	MANJULATA PATLE	
712.	193058	NITU SONVANE	
713.	193182	PRAVESH KUMAR MISHRA	
714.	193581	SANJAY KUMAR GAUTAM	
715.	193795	SHITAL CHOUKE	
716.	193989	SURENDRA KUMAR CHIKHALE	
717.	195478	ABHISHEK SINGH	
718.	195879	HIMMAT LAL AMODKAR	
719.	196217	ANKITA BAJPAI	
720.	196349	JYOTI THOKE	
721.	196471	NITIN KUMAR BIJWE	
722.	196568	RASHMI VERMA	
723.	196756	YAJUVENDRA WAGHMARE	
724.	196921	CHANDRA SHEKHAR KOSHE	
725.	197073	HEMANT KUMAR NIRAPURE	
726.	197130	KALI DAS KURKANJI	
727.	197371	NAVNEET PANDEY	
728.	197440	PRAGATI VERMA	
729.	198475	HEERENDRA SINGH KUSHWAH	
730.	198693	SHIVRANJAN SINGH	
731.	198879	PARMESH SONI	
732.	198896	RAJEEV KUMAR SAMADHIYA	
733.	198909	RAMESHWAR PRASAD AHIRWAR	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
734.	199015	ARVIND SINGH BHADAURIA	
735.	199029	ATUL SHARMA	
736.	199135	KAPIL VYAS	
737.	199216	PAWAN KUMAR DOHARE	
738.	199443	VIVEK KUMAR SHARMA	
739.	199755	ASHOK KUMAR GAUTAM	
740.	199775	BHAVISHYA BHASKAR	
741.	199992	MEGHA TALWALKAR	
742.	200181	RITU BHARGAVA	
743.	200326	VARSHA PANTHI	
744.	200348	VIPIN KUMAR PATEL	
745.	200676	SWATI JAIN	
746.	201159	ASHISH SRIVASTAVA	
747.	203936	SANTOSH KUMAR YADAV	
748.	204194	DR REENA ADHWARYU	
749.	204249	MANISHA VERMA	
750.	204670	ANURAG PRAKASH	
751.	204679	ARCHANA MISHRA	
752.	204924	DEVESH KUMAR SOLANKI	
753.	205048	HARIT KUMAR SHAKYA	
754.	205126	JITENDRA KUMAR SUMAN	
755.	205141	JYOTI BAGHEL	
756.	205229	KULDEEP MALIK	
757.	205261	LOKENDRA GUPTA	
758.	205277	MAHENDRA CHANDERIYA	
759.	205413	MUBIN MOHAMMAD	
760.	205818	RAM NARESH YADAVA	P
761.	205891	RICHA JAISWAL	
762.	206006	SANTOSHI PIPRE	
763.	206029	SATISH MALVIYA	
764.	206318	USHA RANI DHURVE	
765.	206329	VANDANA CHOUBEY	
766.	206439	VIVEK TRIPATHI	
767.	206443	YASH VARDHAN RAI	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
768.	206539	ANIL PATEL	
769.	206742	KRIPAL SINGH CHOUHAN	
770.	207318	DISHA NARULA	
771.	207323	DWARIKA PRASAD PATEL	
772.	207727	AJAY KUMAR YADAV	
773.	207841	AMIT KUMAR VYAS	
774.	207884	ANAMIKA PATEL	
775.	207892	ANAND KUMAR PANDEY	
776.	208079	ARVIND NAMDEO	
777.	208097	ASHIS KUMAR DIWAN	
778.	208098	ASHISH AGRAWAL	
779.	208176	AZAM ALI SIDDIQUI	
780.	208233	BHAWAN KUMAR CHOUHAN	
781.	208241	BHUPENDRA MASRAM	
782.	208304	CHHAVIKANT WAGHMARE	
783.	208406	DEVRAJ NAGINA	
784.	208500	FAEEM KHAN	
785.	208701	JAIVARDHAN RAI	
786.	209055	MANOHAR SINGH GOND	
787.	209077	MANOJ SAXENA	
788.	209110	MEENAKSHI SHRIVASTAVA	
789.	209187	MUKESH KUMAR RAJ	
790.	209263	NEELAM CHOUHAN	
791.	209309	NEHA NAGAR	
792.	209311	NEHA PARTE	
793.	209416	OMPRAKASH SINGH	
794.	209533	PRAGYA SHARMA	
795.	209571	PRASHANT JAISWAL	
796.	209586	PRATIBHA PADWAR	
797.	209691	PUSHRAJ PATIL	
798.	209756	RAJEEV SINGH PAWAIYA	
799.	209770	RAJESH MEENA	
800.	209801	RAJESH SORTEY	
801.	209817	RAJNISH PATEL	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
802.	209852	RAM BHAGAT KUSHWAHA	
803.	209944	RAVIKANT VERMA	
804.	209989	RICHA SAXENA	
805.	210056	ROSHNI KORI	
806.	210085	RUPESH KUMAR MISHRA	
807.	210113	SAGAR SAXENA	
808.	210154	SANDEEP SHRIVASTAVA	
809.	210274	SATISH KUMAR TANTUWAY	
810.	210322	SETU SINGH	
811.	210345	SHAILENDRA SAKET	
812.	210418	SHILPI DIWAKAR	
813.	210435	SHIVANI MAHALWALA	
814.	210560	SUCHETA GARHPALE	
815.	210623	SUNIL KUMAR SHARMA DONARIYA	
816.	210711	TS RAGHAVENDRA	
817.	210725	TARUN BHARGAVA	
818.	210769	UMESH RATHOR	
819.	210786	VAIBHAV DESHMUKH	
820.	210900	VINAY MARKAM	
821.	210934	VINOD KUMAR MERAVI	
822.	210995	YASHPAL MUJALDA	
823.	211131	AKHIL RATHORE	
824.	211266	ANJALI MISHRA	
825.	211481	ASTHA DWIVEDI	
826.	211646	CHANDRAKISHORE BAGHMARE	
827.	211720	DEEPENDRA SAXENA	
828.	211932	GANESH DHAKAD	
829.	212007	GUNJA PARASTE	
830.	212061	HEMANT CHOUKSEY	
831.	212088	HIMANI MANWARE	
832.	212123	JAGDISH CHANDRA NAGAR	
833.	212216	JYOTI PANDEY	
834.	212234	KALAVATI BYARE	
835.	212353	KONIKA KOSHTI	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
836.	212534	MANISH KUMAR CHOUBEY	
837.	212685	MONIKA UIKE	
838.	212875	NIRMAL KUMAR PARIHAR	
839.	212885	NISHANT KUMAR SHRIVASTAVA	
840.	212892	NITESH PAWAR	
841.	212981	PAWAN BARIYA	
842.	213174	PREM NARAYAN YADAV	
843.	213197	PRIYANKA JAIN	
844.	213454	RAKHI SAIYAM	
845.	213542	RASHMI KALBELE	
846.	213559	RAVI SHANKAR CHATURVEDI	
847.	213741	SAMMAL SINGH MARKAM	
848.	213784	SANGEETA JAISWAL	
849.	213930	SATSHUBHRA MISHRA	
850.	213973	SEEMA MISHRA	
851.	214069	SHEETAL BHALAVI	
852.	214143	SHUBHANGI MALIONIA	
853.	214308	SUNIL MEHAR	
854.	214342	SURENDRA KUMAR AGARWAL	
855.	214406	SWATI VYAS	
856.	214505	VANDANA SHINDE	
857.	214890	ATUL SINGH BHADAURIYA	
858.	214893	BHUMIKA PANDEY	
859.	214968	SHARDA GHOGHRE	
860.	215524	RINA DUBEY	
861.	215534	RIZVANA KAUSER	
862.	215775	AKANKSHA CHOURASIA	
863.	216706	NIRMAL SINGH THAKUR	
864.	216884	HARJEET THAKUR	
865.	216892	INDRA KUMAR SAHU	
866.	217053	RAVI SHANKAR MARAVI	
867.	217125	SURESH KUMAR ARMO	
868.	217474	KAMLESH KUMAR MARKO	
869.	217681	OMKAR SINGH MASRAM	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
870.	217775	RAJENDRA KUMAR SONWANI	
871.	218149	UMESH KUMAR UIKEY	
872.	218819	SANTOSH KUMAR	
873.	218832	SHIV PRATAP SINGH	
874.	219942	I.ALITA GARG	
875.	220077	JYOTI BALA	
876.	220170	PUNEET KUMAR PATEL	
877.	220471	SATISH MATSANIYA	
878.	220474	SHAILENDRA SINGH RAJPUT	
879.	220685	NEETU SAPRE	
880.	220801	SAURABH SINGH KUSHWAH	
881.	220817	SHIV DATT KATARE	
882.	220935	BEERENDRA SINGH KUSHWAH	
883.	221014	JABAR SINGH PARMAR	
884.	221037	KANWAL DEEP SANGAR	
885.	221063	MAHABEER SINGH KHATIK	
886.	221160	RAHUL KUMAR PARIHAR	
887.	221780	RAJENDRA KUMAR BAURASI	
888.	222081	SUNIL YADAV	
889.	222108	VINOD KUMAR LEVE	
890.	222496	GULSHAN NANDA SHARANAGAT	
891.	222521	JANKILAL CHARPOTA	
892.	222654	PRABHAT KUMAR JOHAR	
893.	222737	SANTOSH KUMAR VERMA	
894.	222830	YOGESH KUMAR DAMA	
895.	223121	MANOHAR SINGH BARIYA	
896.	223266	RAJIV KUMAR THAPAK	
897.	223447	VIJAY BHABAR	
898.	224020	RAMESH CHANDRA KANNOJ	
899.	224327	JAGDEESH KUMAR RAO	
900.	224371	MANISH VERMA	
901.	224663	LAKHAN SINGH DANGI	
902.	224909	TEENA DUBEY	
903.	225151	YESHWANT SINGH DHAKAR	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
904.	225441	RISHI KUMAR SEN	
905.	225458	SATISH KHATRI	
906.	225714	GYANENDRA KUMAR MISHRA	
907.	225756	LAL SUDHAKAR SINGH	
908.	225782	NAGENDRA SINGH	
909.	225820	PRIYANKA SOHGAURA	
910.	225901	SHALU VERMA	
911.	226982	ANIRUDH PRATAP SINGH	
912.	227152	GULASHANUWER .	
913.	227272	MANI BHUSHAN TIWARI	
914.	227490	RAJIV KUMAR	
915.	228322	GYANENDRA NATH	
916.	228577	VIPIN KUMAR SINGH	
917.	228591	ABHA TRIPATHI	
918.	228743	BHEEM SINGH TEKAM	
919.	228823	GAURAV SINGH THAKUR	
920.	228853	INDRA KUMAR DWIVEDI	
921.	228981	NEELAMBER MISHRA	
922.	229104	RAJEEV KUMAR PANDEY .	
923.	229110	RAJESH KUMAR DWIVEDI	
924.	229157	RAMKUMAR KOL	
925.	229281	SHEETAL MISHRA	
926.	229329	SUMAN DWIVEDI	
927.	229397	VIKAS TIWARI	
928.	229494	AMBUJ TRIPATHI	
929.	229610	ASHOK KUMAR MISHRA	
930.	229878	KRISHNA CHANDRA AWADHIYA	
931.	229897	LAL VINOD PRATAP SINGH	
932.	230004	NEELMANI AGNIHOTRI	
933.	230068	PRABHAS KUMAR	
934.	230165	PUSHPRAJ SINGH	
935.	230240	RAKESH KUMAR SHUKLA	
936.	230281	RASHMI REKHA SINGH	
937.	231610	AKHILESH CHANDRA CHATURVEDI	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
938.	231998	DR. AMBAR PANTHI	
939.	232001	GAURAV JAIN	
940.	232023	JEEVAN SINGH RAJAK	
941.	232692	NISHTHA PANDEY	
942.	232724	RAKSHA MARAVI	
943.	232754	SHIMMY NAHID	
944.	233114	NAGESHWAR PRASAD PANIKA	
945.	233209	DEEPAK KUMAR TIWARI	
946.	233520	MRITYUNJAYA PANIKA	
947.	233835	BRIJ KISHOR SINGH	
948.	233838	CHAIN SINGH PARASTE	
949.	233904	HEMANT SHARMA	
950.	233923	JAYDEV DEEPANKAR	
951.	234020	MONIKA VISHWAKARMA	
952.	234085	PRAKASH SINGH BAGHEL	
953.	234296	SMT. RAMA PATHAK	
954.	234336	TANU PRIYA KUSHWAHA	
955.	234365	VATSALA SHRIVASTAVA	
956.	234427	ADITI GHARDE	
957.	234472	AMIT SHRIVASTAVA	
958.	234495	ANJANA SINGH	
959.	234566	AYODHYA SINGH RATHORE	
960.	234612	BRIJENDRA SINGH RATHOUR	
961.	234617	CHANDRA SHEKHAR MISHRA	
962.	234651	DEVENDRA KUMAR DEWANGAN	
963.	234769	JITENDRA KUMAR	
964.	234785	KAMLA SINGH	
965.	234819	KIRTI PRABHA CHANDEL	
966.	234949	MONIKA SINHA	
967.	234992	NEETA DIXIT	
968.	235227	RAVI KANT TAINGURIYA	
969.	235232	RAVI PRAKASH KACHER	
970.	235354	SANTOSHI GUPTA	
971.	235382	SAVITA RAWAT	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
972.	235633	VIVEK SHRIVASTAVA	
973.	235654	RAMAMILAN SINGH	
974.	236229	ANIL KUMAR SONI	
975.	236263	HARSH VIKRAM SINGH	
976.	236424	VISHNU PRASAD YADAV	
977.	236540	GIRISH KUMAR MISHRA	
978.	236548	LALIT KUMAR	
979.	236562	SUDHIR SHARMA	
980.	236585	VIJAY SINGH YADAV	
981.	236679	VIRENDRA KAUSHAL	
982.	236731	DEVANDRA SAHU	
983.	236737	DR. SANJEEVA KHEMARIYA	
984.	236965	AMIT KUMAR GARG	
985.	237052	DHEERENDRA SINGH CHAUDHARY	
986.	237078	GYANENDRA VAISHY	
987.	237107	JYOTI SHIVHARE	
988.	237243	PRADEEP SINGH YADAV	
989.	237388	SHWETA GUPTA	
990.	237392	SHYAM SUNDAR BANSAL	
991.	237394	SMT NEELAM MOURYA	
992.	237417	SUNIL KUMAR SIKARWAR	
993.	237419	SUNIL VERMA	
994.	237526	ARVIND KUMAR SHARMA	
995.	237528	ARVIND SINGH DIWAKAR	
996.	237600	DEVENDRA KUMAR KOLI	
997.	238039	TILAK SINGH PAL	
998.	238064	VINAY KUMAR BHATT	
999.	238609	RAVI RAMAN PARASHAR	
1000.	238734	AMBRISH DEV BAGHEL	
1001.	238853	SWEETA JUNEJA	
1002.	239067	VIKRAM SINGH	
1003.	239562	RAJ KUMAR SHUKLA	
1004.	240003	DEEPAK KUMAR TIWARI	
1005.	240087	GEH CHANDRA PATEL	
1006.	240904	SRISTI NA	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
1007.	241053	VINAY MURTI SHARMA	
1008.	241371	PREETI BALA JAISWAL	
1009.	241392	RAJ KUMAR SAHU	
1010.	242478	AJAY KUMAR	
1011.	242519	ANAMIKA SINGH	
1012.	242573	ARCHNA TRIPATHI	
1013.	242707	DINKAR SINGH TIWARI	
1014.	243007	PRATIPAL SINGH BAGRI	
1015.	243010	PRAVEEN KUMAR SINGH	
1016.	243291	SHIVALI PANDEY	
1017.	243393	VIJAY KUMAR TRIPATHI	
1018.	243857	ABHA RICHHARIYA	
1019.	244027	UDAL SINGH THAKUR	
1020.	244278	VINITA JAIN	
1021.	244788	SHACHI JAIN	
1022.	244856	CHANDRA PRAKASH PATEL	
1023.	244868	DR. KAMLESH KUMAR DUBEY	
1024.	244995	ASHUTOSH TIWARI	
1025.	245106	MANOJ THAKUR	
1026.	245151	POONAM PARIHAR	
1027.	245445	RAJEE V GOYAL	
1028.	245588	ANURODH SEN	
1029.	245909	ANURAG TIWARI	
1030.	245986	GOVIND SINGH THAKUR	
1031.	246096	NILESH KUMAR SHARMA	
1032.	246100	NISHANKI SINGHAI	
1033.	246390	ABHISHEK SINGH THAKUR	
1034.	246423	ALOK JAIN	
1035.	246540	ARJUN NAHARIYA	
1036.	246648	BHAVNA RAJPUT	
1037.	246741	DEEPTI YADAV	
1038.	246891	HEMVATI THAKUR	
1039.	246899	INDRAJ SINGH THAKUR	
1040.	246951	JYOTI SAHU	
1041.	247162	MANOJ KUMAR KORKU	
1042.	247215	MUKESH KUMAR PANDEY	
1043.	247427	PRAVEEN RATAN WARKADE	
1044.	247465	PRIYANKA RAI	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
1045.	247520	RAHUL MISHRA	
1046.	247590	RAKESH PATHAK	
1047.	247648	RANU JAIN	
1048.	247777	SANDEEP KUMAR SHAKYA	
1049.	248133	UMESH GAM AD	
1050.	248134	UMESH KUMAR KURMI	
1051.	248203	VIKRAM CHHIRAULYA	
1052.	248221	VINOD KUMAR SANODIYA	
1053.	248240	VIVEK KUMAR PANDEY	
1054.	248242	VIVEK KUMAR GHARU	
1055.	248285	ANUREKHA YADAV	
1056.	248383	RAJESH YADAV	
1057.	248988	JYOTI SONI	
1058.	249334	ALOK KUMAR SHARNAGAT	
1059.	249548	RAMAKANT CHOUKSEY	
1060.	249754	MUKESH KUMAR BRAMHANE	
1061.	250106	YASHWANT SHAREN SINGH UIKEY	
1062.	250148	ASHISH KUMAR SHRIVASTAVA	
1063.	250419	SANTOSH KUMAR BAGHEL	
1064.	250913	JYOTSNA TUMRAM	
1065.	252498	ANUP SINGH BHADOURIYA	
1066.	252696	ATUL KUMAR TRIPATHI	
1067.	253139	BHAGWATI KAG	
1068.	253634	ASHISH SAXENA	
1069.	253636	ASHOK KUMAR PARMAR	
1070.	253705	MUKESH SAWLE	
1071.	254306	VIJENDRA BHALEKAR	
1072.	255014	SHYAM BABU .	
1073.	255197	NEHA YADAV	
1074.	255263	SANDEEP SHARMA	
1075.	255447	SUNITA THAKUR	
1076.	255897	ABHISHEK SHARMA	
1077.	255905	AKHILESH KUMAR YADUWANSHI	
1078.	256254	SAVITA YADAV	
1079.	256449	PRATIBHA YADAV	
1080.	256790	HARISH CHANDRA DWIVEDI	
1081.	256886	NEETU DIWAN	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARK
1082.	256907	OMNARAYAN SINGH BADKUL	
1083.	256985	RAVINDRA KUMAR DERATE	
1084.	257000	ROHIT MALVIYA	
1085.	257018	SARITA DHURVE	
1086.	257479	NAVEEN BAWARIYA	
1087.	257512	NIRUPMA SHAH	
1088.	258336	SUBHASH CHANDRA MOURYA	
1089.	258397	DR. DEEPTI GUPTA	
1090.	258505	RASHID ALI KHAN	
1091.	259277	RUPESHWARI KUNJAM	
1092.	259451	NARESH KUMAR BHALAVI	
1093.	2S9455	NIVEDITA POOSHAM	
1094.	259762	MAHENDRA KUMAR MARKAM	
1095.	259961	HEMSINGH SHYAM	
1096.	261484	RAJESH CHANDRA MISHRA	
1097.	261504	RAMASHRAY CHATURVEDI	
1098.	261515	RAVI SHANKAR DWIVEDI	
1099.	261613	SURENDRA SINGH UIKE	
1100.	261629	UTTAM KUMAR DWIVEDI	
1101.	261675	ALOK MISHRA	
1102.	261679	AMIT DHAR DIWAN	
1103.	261858	GAURAV KUMAR PANDEY	
1104.	261928	KAMLA DEVI KOL	
1105.	262677	SAURABH TOMAR	
1106.	262901	SARVENDRA KUMAR PANDEY	
1107.	263729	RAJESH PALIYA	
1108.	264896	PRADEEP KUMAR VERMA	
1109.	264968	SHIVANGI DAHIYA	

टीपः— निम्नांकित प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी इनका अंतिम चयन परिणाम मान. उच्च न्यायालय के निर्णय के अधधीन रहेगा. आवेदक साक्षात्कार के लिये आवेदन-पत्र के साथ मान. उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रस्तुत करेंगे.

1110.	CC-200007	MANISH SHRIVASTAVA	PROVISIONAL
1111.	CC-200028	MANISH KUMAR THAKUR	PROVISIONAL

टीपः— 1. अर्ह सूची में दर्शाए गए प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जाएंगे.

2. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदक अनुप्रमाण फॉर्म तीन प्रति, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म छः प्रति, आयोग की वेबसाईट www.mppsc.nic.in & www.mppsc.com से डाउनलोड करके पूर्ण जानकारी सहित परीक्षा के लिये भरे गये मूल आवेदन की

प्रति के साथ विज्ञापन की शर्तों एवं अर्हता के अनुसार आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांग प्रत्याशी विकलांगता का प्रमाण-पत्र (चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो) भूतपूर्व सैनिक आवेदक भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र, शासकीय सेवक सेवा का प्रमाण-पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र जिसकी आवेदन पत्र में जानकारी दी गई है के समर्थन में इनकी सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कर दिनांक 21 मई, 2013 तक आयोग कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

जिन आवेदकों के आवेदन-पत्र व्यक्तिगत विवरण फार्म एवं अनुप्रमाणन फार्म संलग्न प्रमाण-पत्रों सहित दिनांक 21 मई, 2013 तक आयोग में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहते हैं। अतः उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी।

3. अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना-पटल पर देखने के लिए उपलब्ध है। स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा तथा आयोग कार्यालय में सूचना-पटल पर लगी सूची को ही प्रमाणिक माना जाएगा।
4. परीक्षा में प्रत्याशी के प्रवेश से संबंधित शर्तों के अनुसार उनकी अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण-पत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्रों के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्रों एवं इनकी प्रमाणित प्रतियां साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
5. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने पर अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदकों को अनर्ह किया जाएगा।
6. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।
7. अर्ह आवेदकों को साक्षात्कार की सूचना अलग से प्रेषित की जाएगी।
8. साक्षात्कार दिनांक 08 जुलाई, 2013 से प्रारंभ होंगे।

श्रीकृष्ण शर्मा,
परीक्षा नियंत्रक.

(263-A)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 01 मई, 2013

(निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय का ज्ञाप क्र. 2802, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012)

क्र./जनगणना/एन.पी.आर./2012-13.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1/2002/दो-ए (3), दिनांक 16 फरवरी, 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अंतर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और "राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य" का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. 04 में एन. पी. आर. पद नाम एवं कॉलम नं. 05 में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है.:-

क्रम संख्या	प्रशासनिक इकाई	पदनाम	नियुक्त किये जाने वाला पदनाम	प्रशासनिक क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	तहसील मुरैना	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील मुरैना.	तहसील मुरैना के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नागरीय क्षेत्र को छोड़कर).

1	2	3	4	5
2.	तहसील अम्बाह	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील अम्बाह.	तहसील अंबाह के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
3.	तहसील पोरसा	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील पोरसा.	तहसील पोरसा के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
4.	तहसील जौरा	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील जौरा.	तहसील जौरा के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
5.	तहसील कैलारस	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील कैलारस.	तहसील कैलारस के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
6.	तहसील सबलगढ़	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील सबलगढ़.	तहसील सबलगढ़ के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
7.	नगरपालिका मुरैना	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका मुरैना.	नगरपालिका मुरैना के अंतर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
8.	नगरपालिका अम्बाह	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका अम्बाह.	नगरपालिका अम्बाह के अंतर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
9.	नगरपालिका पोरसा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका पोरसा.	नगरपालिका पोरसा के अंतर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
10.	नगरपालिका सबलगढ़.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका सबलगढ़.	नगरपालिका सबलगढ़ के अंतर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
11.	नगर परिषद बानमोर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर परिषद बानमोर.	नगर परिषद बानमोर के अंतर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
12.	नगर परिषद जौरा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर परिषद जौरा.	नगर परिषद जौरा के अंतर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
13.	नगर परिषद कैलारस	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर परिषद कैलारस.	नगर परिषद कैलारस के अंतर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
14.	नगर परिषद झुण्डपुरा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर परिषद झुण्डपुरा.	नगर परिषद झुण्डपुरा के अंतर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
15.	संबंधित ग्राम	पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/जनगणना नगर/बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.
16.	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/स्वास्थ्य निरीक्षक/सफाई निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक/कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	सांविधिक नगरों (नगर/नगरपालिका/छावनी बोर्ड/नगर परिषद) के अन्तर्गत संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

उप-जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1/2012/दो-ए (3), दिनांक 16 फरवरी, 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

डी. डी. अग्रवाल,
जिलाध्यक्ष एवं उप सचिव.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला नीमच

नीमच, दिनांक 6 मई, 2013

क्र./महामारी/2013/3805.—नीमच जिले में संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोथ, पेचिस, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया, डेंगू के फैलाव की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इन संदर्भित बीमारी के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरन्त किये जावें।

अतः मैं, विकाससिंह नरवाल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला नीमच, मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा विनियमन नियम, 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला नीमच को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूँ तथा आदेश देता हूँ कि:—

क— अधिसूचित क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर बाजारों, उपहारगृहों, भोजनालयों, होटलों आदि के लिये खाद्य एवं पेयजल सामग्री निर्माण करने या उससे निर्माण कर प्रदाय करने के लिये कायम की गई स्थापना में अथवा विक्रय या विमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर—

1. बॉसी मिठाईयों, सड़े-गले फल, सब्जियां, मछली, अण्डे, दूषित खाद्य पदार्थों के बेचने पर प्रतिबंध लगाया जावे।
2. कुल्फी, आईसक्रीम, बर्फ के लड्डू, चूसने वाले पेय पदार्थ, खुले स्थान / बाजार में जालीदार ढक्कन से ढककर रखे जावें। महामारी फैलने पर इसकी बिक्री पर पाबन्दी लगाई जावे।
3. नालियाँ, गटरों, पानी के गड्ढों, मलकुण्ड, कूड़ा-करकट आदि गंदगी वाले स्थानों को स्वच्छ रखा जावे तथा रोगाणुनाशक पदार्थ से नियमित सफाई की जावे।
4. मक्खियाँ, मच्छर पैदा करने वाले स्थान को स्वच्छ रखा जावे तथा खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाया जावे।
5. नगरपालिका क्षेत्र में जल प्रदाय व्यवस्था के अन्तर्गत टंकी की समय-समय पर सफाई तथा उचित मात्रा में क्लोरीन जल शुद्धिकरण के लिये काम में लाई जावे।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में नाले, तालाब, अस्वच्छ कुओं व बावड़ियों का पानी पीने के काम में नहीं लाया जावे, हैण्डपम्प का पानी ही पीने के उपयोग में लाया जावे। ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों की प्रति सप्ताह नियमित ब्लीचिंग पाउडर डालकर शुद्धिकरण पश्चात् जल का उपयोग किया जावे।
7. धर्मशालाओं, सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं व धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा अपने परिसर स्थित पेयजल टंकी की नियमित सफाई व शुद्धिकरण किया जावे।

ख— इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या बाहर के कोई भी व्यक्ति इस आदेश के पैरा "क" के बिन्दु क्रमांक-1 में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये हुए भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जावेगा।

ग— इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टॉल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या विमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, वहां विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच-पड़ताल करने, निरीक्षण करने तथा खाने-पीने की ऐसी वस्तुएं एवं मानव उपयोग के अभिप्रेरित हैं और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त हैं, तो उन अस्वास्थ्यकर, दूषित, अनुपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने या नष्ट करने या ऐसी रीति से निर्वसन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोकी जा सके, के लिये अधिसूचित क्षेत्र में कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूँ:—

1. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला नीमच।
2. समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला नीमच।
3. ऐसे समस्त शासकीय चिकित्सक पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सक के पद से नीचे न हो।
4. नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक।
5. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत समस्त।

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त.
7. राजस्व निरीक्षक, समस्त तहसील, जिला नीमच.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियों, घरों के गड्ढों, पोखरों, मल संडास, संक्रमित वस्तुओं, बिस्तरों, कूड़ा-करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाते समय उस स्थान को स्वच्छ व रोगाणु रहित करने हेतु निवर्तन अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने से संबंधित आदेश दे सकेंगे.

उक्त आदेश का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय द्वारा सुसंगत प्रावधानों के तहत किया जावेगा.

संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों/संस्थाओं/प्रतिष्ठानों द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी, जो अन्य आर्थिक दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की जावेगी.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो प्रभावशील रहेगा.

(265)

विकाससिंह नरवाल,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 16 मई, 2013

अल्प अवधि निविदा सूचना

क्र.जी.बी. चार/पेपर (1) 2013-14/1691.—चुनाव कार्य हेतु मेपलिथो पेपर 100 जी.एस.एम. विभिन्न रंगों के क्रय हेतु मुहरबन्द तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदाएं पृथक्-पृथक् लिफाफों में पेपर मिल एवं उनके अधिकृत डीलर/प्रतिनिधियों से आमंत्रित की जाती है.

2. टेण्डर फॉर्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबंध/वितरण का प्रारूप वेबसाईट www.tenders.gov.in. एवं www.govtpressmp.nic.in. पर रखा गया है.

3. टेण्डर फॉर्म अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 31 मई, 2013 को कार्यालयीन समय अपरान्ह 1.00 बजे तक आवश्यक पूर्तियां की जाकर प्रस्तुत की जाना होगी. निविदा का टेक्निकल टेण्डर (Technical Tender) उसी दिनांक को अर्थात् दिनांक 31 मई, 2013 को अपरान्ह 3.00 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी.

(270)

Bhopal, dated 16th May, 2013

SHORT TENDER NOTICE

No. GB-IV-Paper (1) 2013-14/1691.—Sealed envelopes of Technical & Commercial (separately) tenders are invited from paper manufacturing mills or their authorised dealers/representative for the supply of Maplitho Paper 100 GSM in different Colours for Election use.

2. Tender Document and agreement /Distribution details of tender are available at website www.tenders.gov.in and www.govtpressmp.nic.in.

3. In all respects complete tender document must be received at the office of undersigned latest by 13.00 hours on 31st May, 2013 and the Envelope 'A' of technical tender will be opened on the same day i.e. 31st May, 2013 at 15.00 hours in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

(270-A)

AJIT KESARI,
Controller,
Govt. Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी/रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, झाबुआ

रा. प्र. क्र. 01/बी-113/2012-13.

झाबुआ, दिनांक 18 अप्रैल, 2013

फॉर्म-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) के तहत]

क्र. 1471/रीडर/2013.—आवेदिका श्रीमती कल्पना भूरिया पति कांतिलाल भूरिया, निवासी झाबुआ द्वारा लाडकीदेवी भूरिया, पब्लिक वेरिटेबल ट्रस्ट, झाबुआ को सार्वजनिक लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र धारा 4-5, मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है.

2. जिसकी सुनवाई 09 मई, 2013 को इस न्यायालय में समय 11.00 बजे की जावेगी.

3. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट की सम्पत्ति के प्रति रुचि हो और प्रकरण में नियत दिनांक 09 मई, 2013 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के द्वारा प्रातः 11.00 बजे नियत दिनांक को इस न्यायालय में उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि पश्चात प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|--------------------------|----|--|
| 1. नाम | .. | लाडकीदेवी भूरिया, पब्लिक वेरिटेबल ट्रस्ट. |
| 2. अचल सम्पत्ति का विवरण | .. | निरंक. |
| 3. चल सम्पत्ति का विवरण | .. | रुपये 11,000/- (ग्यारह हजार रु.) बैंक ऑफ बड़ोदा में जमा हैं. |

सज्जय चतुर्वेदी,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(266)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट (शहर), रतलाम

प्र. क्र. 04/बी-113(1)/2012-13.

रतलाम, दिनांक 9 अप्रैल, 2013

फॉर्म-चार

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 (2) के तहत]

क्र. 04/आर-5/13. —आवेदक श्री पं. दशरथ उपाध्याय पिता श्री मोतीलाल उपाध्याय आदि, निवासी 44, सेठजी का बाजार रतलाम, द्वारा न्यास प्रबंधक/व्यवस्थापक “औदीच्य वरिष्ठजन मंच चेरिटेबल ट्रस्ट” डी-112, अलकापुरी रतलाम, मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत “औदीच्य वरिष्ठजन मंच चेरिटेबल ट्रस्ट” रतलाम मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 09 मई, 2013 को की जावेगी.

अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रुचि हो, प्रकरण में नियत दिनांक 30 मई, 2013 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के द्वारा प्रातः 11 बजे नियत दिनांक को उपस्थित हों. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. न्यास का पूरा नाम | : | “औदीच्य वरिष्ठजन मंच चेरिटेबल ट्रस्ट” डी-112, अलकापुरी रतलाम. |
| 2. अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |
| 3. चल सम्पत्ति | : | 5,000/- की राशि समर्पित है. |

रानी बाटड़,

रजिस्ट्रार.

(267)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, नागदा, जिला उज्जैन

प्र. क्र. 02 /बी-113/2011-12.

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास, नागदा,
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि संवाद हेतु न्यासी श्री गोरधन गौशाला न्यास अध्यक्ष राजेश तिवारी पिता मोहनलाल तिवारी, नि. जन्मेजय मार्ग, नागदा जं. का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 18 जून, 2012 को प्रातः 11.00 बजे विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी नागदा, जिला उज्जैन, का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 18 जून, 2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम	..	श्री गोरधन गौशाला न्यास, नागदा.
कार्यालय	..	115, जन्मेजय मार्ग, तहसील नागदा, जिला उज्जैन.
चल सम्पत्ति	..	निरंक.

संतोष टैमोर,

(268)

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 27 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/479.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्वॉं न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., कमठाना	608/06-06-1983
2.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., आक्यानजीक	611/06-06-1983

(1)	(2)	(3)
3.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., भुवासा	616/22-06-1983
4.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., पासलोद	617/22-06-1983
5.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., बेड़ावन	621/14-12-1983
6.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., घिनोदा	691/30-11-1989
7.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., मड़ावदा	692/08-01-1985
8.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., चिरोला	693/08-01-1985
9.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा	759/17-07-1985
10.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., चापाखेड़ा	763/25-08-1985
11.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., निपानिया	764/25-08-1987
12.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा माड़न	821/17-12-1987
13.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., झांझाखेड़ी	739/22-10-1986
14.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., रूपेटा	740/22-10-1986
15.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., भाटीसुड़ा	757/02-07-1987
16.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., पचलासी	237/28-07-1986
17.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., लेकोड़ा आंजना	1064/03-09-2002

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं उज्जैन के द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्थाएं विगत कई वर्षों से निष्क्रिय हैं तथा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही हैं. उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., कमठाना	608/06-06-1983	श्री आर. एल. परमार सहकारिता विस्तार अधि. खाचरोद.
2.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., आक्यानजीक	611/06-06-1983	-''-
3.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., भुवासा	616/22-06-1983	-''-
4.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., पासलोद	617/22-06-1983	-''-
5.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., बेड़ावन	621/14-12-1983	-''-
6.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., घिनोदा	691/30-11-1989	-''-
7.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., मड़ावदा	692/08-01-1985	-''-
8.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., चिरोला	693/08-01-1985	-''-
9.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा	759/17-07-1985	-''-
10.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., चापाखेड़ा	763/25-08-1985	-''-

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., निपानिया	764/25-08-1987	श्री आर. एल. परमार सहकारिता विस्तार अधि. खाचरोद
12.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा माड़न	821/17-12-1987	-''-
13.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., झांझाखेड़ी	739/22-10-1986	-''-
14.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., रूपेठा	740/22-10-1986	-''-
15.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., भाटीसुड़ा	757/02-07-1987	-''-
16.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., पचलासी	237/28-07-1986	-''-
17.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., लेकोड़ा आंजना	1064/03-09-2002	-''-

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(252-C)

उज्जैन, दिनांक 27 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/480.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., इंगोरिया	587/04-09-1982
2.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., चिकली	588/23-10-1982
3.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., पलसोड़ा	595/23-10-1982
4.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., खरसोदकलां	603/09-03-1983
5.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., जलोदिया	686/07-05-1983
6.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., जस्साखेड़ी	607/07-05-1983
7.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., लोहाना	610/06-06-1983
8.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., पिपलू	609/06-06-1983
9.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., भाटपचलाना	613/06-06-1983
10.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., गावड़ी लौधा	614/22-06-1983
11.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., खेड़ावद	629/19-12-1983
12.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., नरसिंगा	723/30-10-1985
13.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., खरसोदखुर्द	724/19-12-1985
14.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., बंग्रेड	767/15-09-1987
15.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., सुन्दराबाद	768/15-09-1987
16.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., रणवा	1064/17-11-1992

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं उज्जैन के द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत कई वर्षों से निष्क्रिय हैं तथा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., इंगोरिया	587/04-09-1982	श्री एन. एस. कनेल, सहकारिता विस्तार अधि., बड़नगर.
2.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., चिकली	588/23-10-1982	—''—
3.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., पलसोड़ा	595/23-10-1982	—''—
4.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., खरसोदकलां	603/09-03-1983	—''—
5.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., जलोदिया	686/07-05-1983	—''—
6.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., जस्साखेड़ी	607/07-05-1983	—''—
7.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., लोहाना	610/06-06-1983	—''—
8.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., पिपलू	609/06-06-1983	—''—
9.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., भाटपचलाना	613/06-06-1983	—''—
10.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., गावड़ी लौधा	614/22-06-1983	—''—
11.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., खेड़ावद	629/19-12-1983	—''—
12.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., नरसिंगा	723/30-10-1985	—''—
13.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., खरसोदखुर्द	724/19-12-1985	—''—
14.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., बंग्रेड	767/15-09-1987	—''—
15.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., सुन्दराबाद	768/15-09-1987	—''—
16.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., रणवा	1064/17-11-1992	—''—

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(252-D)

उज्जैन, दिनांक 27 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/481.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., परसोली	510/29-09-1980
2.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., छड़ावद	511/29-09-1990

(1)	(2)	(3)
3.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., रूपाखेड़ी	512/29-09-1990
4.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., कायथा	513/29-09-1990
5.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., कनासिया	514/29-09-1990
6.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., माकड़ोन	515/29-09-1990
7.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., तिलावद	520/24-10-1980
8.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., सुमराखेड़ी	510/24-10-1980
9.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., ढाबला हर्दू	823/24-10-1980
10.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., पाट	512/11-05-1981

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं उज्जैन के द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्थाएं विगत कई वर्षों से निष्क्रिय हैं तथा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही हैं. उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्थाओं के पदाधिकारीगण संस्थाओं का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., परसोली	510/29-09-1980	श्री आर. एस. मेहर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, तराना.
2.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., छड़ावद	511/29-09-1990	-''-
3.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., रूपाखेड़ी	512/29-09-1990	-''-
4.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., कायथा	513/29-09-1990	-''-
5.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., कनासिया	514/29-09-1990	-''-
6.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., माकड़ोन	515/29-09-1990	-''-
7.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., तिलावद	520/24-10-1980	-''-
8.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., सुमराखेड़ी	510/24-10-1980	-''-
9.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., ढाबला हर्दू	823/24-10-1980	-''-
10.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., पाट	512/11-05-1981	-''-

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

उज्जैन, दिनांक 27 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/482. — इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., नांदेड	572/
2.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., नैनावद	583/04-06-1983
3.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., बघेरा	582/04-06-1982
4.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., डेलची	589/04-06-1982
5.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., सालाखेड़ी	594/23-10-1982
6.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., काठ बड़ोदा	597/23-10-1982
7.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., बैलरी	622/14-12-1983
8.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., कनादी	742/27-02-1986
9.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., करंज	754/22-05-1989
10.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., कड़ोदिया	760/25-08-1987

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं उज्जैन के द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्थाएं विगत कई वर्षों से निष्क्रिय हैं तथा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही हैं. उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्थाओं के पदाधिकारीगण संस्थाओं का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., नांदेड	572/	श्री रघुवर पिपलाज, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
2.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., नैनावद	583/04-06-1983	-''-
3.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., बघेरा	582/04-06-1982	-''-
4.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., डेलची	589/04-06-1982	-''-
5.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., सालाखेड़ी	594/23-10-1982	-''-
6.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., काठ बड़ोदा	597/23-10-1982	-''-

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., बैलरी	622/14-12-1983	श्री रघुवर पिपलाज, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
8.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., कनार्दी	742/27-02-1986	-''-
9.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., करंज	754/22-05-1989	-''-
10.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., कड़ोदिया	760/25-08-1987	-''-

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(252-F)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 05 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2012/2052, उज्जैन, दिनांक 17 सितम्बर, 2010 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री महाकालेश्वर साख स्वायत्त सहकारिता मर्या., उज्जैन	03/29-12-2000	2052/17-09-2010
2.	उज्जैन सिक्युरिटी गार्ड, स्वायत्त सहकारिता मर्या., उज्जैन	76/01-01-2005	2052/17-09-2010
3.	विरेन्द्र महिला बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता मर्या., ओरडी, तह. बडनगर	44/12-05-2003	2052/17-09-2010

अतः मैं, अभय निगम, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा. उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियां या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 05 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

अभय निगम,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(253)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 08 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 478, दिनांक 27 फरवरी, 2013 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में आने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जगोटी	569/19-10-1981	478/27-02-2013
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घोसला (मु. राघवी)	570/19-10-1981	478/27-02-2013
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झाडा	573/19-10-1981	478/27-02-2013
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेड़ा खजुरिया	544/11-06-1981	478/27-02-2013
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डोंगरखेड़ा	593/25-10-1982	478/27-02-2013
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चितावद (मु. राघवी)	590/25-10-1982	478/27-02-2013
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मकला	618/28-07-1982	478/27-02-2013
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महु	699/31-01-1985	478/27-02-2013
9.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अरनिया बहादुर	710/04-09-1985	478/27-02-2013
10.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कढ़ाई	722/05-11-1985	478/27-02-2013
11.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बण्पैया	762/25-08-1987	478/27-02-2013
12.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बैजनाथ	766/10-11-1987	478/27-02-2013
13.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ईटावा	820/30-11-1988	478/27-02-2013

अतः मैं, मुकेश जोशी, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा। उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 08 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

(254)

मुकेश जोशी,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

उज्जैन, दिनांक 05 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./क्यू/13.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/480, उज्जैन, दिनांक 27 फरवरी, 2013 के द्वारा मुझे निम्नलिखित

सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	नाम संस्था	परिसमापन क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., इंगोरिया	480/27-02-2013	587/04-09-1982
2.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., चिकली	480/27-02-2013	588/21-10-1982
3.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., पलसोड़ा	480/27-02-2013	595/23-10-1982
4.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., सरसौदकलां	480/27-02-2013	603/09-03-1983
5.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., जलोदिया	480/27-02-2013	686/07-05-1983
6.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., जस्साखेड़ी	480/27-02-2013	607/07-05-1983
7.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., लोहाना	480/27-02-2013	610/06-06-1983
8.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., पिपलू	480/27-02-2013	609/06-06-1983
9.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., भाटपचलाना	480/27-02-2013	613/06-06-1983
10.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., गावडीलोधा	480/27-02-2013	614/22-06-1983
11.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., खेड़ावदा	480/27-02-2013	629/19-12-1983
12.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., नरसिंगा	480/27-02-2013	723/30-10-1985
13.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., खरसौदखुर्द	480/27-02-2013	724/19-12-1985
14.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., बंग्रेड़	480/27-02-2013	767/15-09-1987
15.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., सुंदराबाद	480/27-02-2013	768/15-09-1987
16.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., रणवा	480/27-02-2013	1064/17-11-1992

अतः मैं, नरसिंह कनेल, सह. निरी. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा। उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 05 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

नरसिंह कनेल,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(255)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 05 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2012/2990, उज्जैन, दिनांक 20 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं

का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में आने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	नवीन कुम्हारी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	361/17-08-1973	2088/15-06-1983
2.	श्रमिक ईट उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	592/22-09-1982	2093/25-06-1983
3.	अवन्तिका लोहारी शीटमेटल औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	880/01-06-1959	2234/29-05-1995
4.	अवन्तिका महिला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	445/17-10-1977	2234/29-05-1995
5.	महिला गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	340/26-09-1972	2099/15-06-1993
6.	अनुसूचित जाति वस्त्र रेडिमेट उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	647/08-02-1984	2095/15-06-1993
7.	स्वयं सिद्धा महिला बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	414/23-01-1993	948/13-04-2005

अतः मैं, व्ही. के. जोशी, उप-अंकेक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा. उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रेकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 05 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

व्ही. के. जोशी,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(256)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 27 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 623, दिनांक 22 अप्रैल, 2009 तथा आदेश क्रमांक 2134, दिनांक 29 सितम्बर, 2010 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में आने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री माया साख सहकारिता मर्यादित, बड़नगर	59/17-06-2003	623/22-04-2009
2.	विनोद मिल एम्प्लॉईज कम्पलसरी को. आ. सोसायटी लिमिटेड, उज्जैन.	4290/31-08-1989	213/06-02-2008

अतः मैं, सी. एस. आसोड़िया, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 27 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

सी. एस. आसोड़िया,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(257)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 08 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	अभिलाषा महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्या., कलावदा तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन.	56/16-03-2003	623/22-04-2009
2.	जय माता दी बहुउद्देशीय सहकारिता मर्या., मनियावदा तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन.	58/16-06-2003	623/22-04-2009
3.	नारी जागृति महिला बहुउद्देशीय सहकारिता खण्डवासुरा तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन.	40/12-05-2003	623/24-04-2009

अतः मैं, सुधीर जैन, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 08 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

(258)

उज्जैन, दिनांक 11 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, बोरदागुर्जर	ए.आर./उज्जैन/648 13-03-1984.	1350/27-10-2007

अतः मैं, सुधीर जैन, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रेकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 11 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

(258-A)

सुधीर जैन,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 13 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 477, दिनांक 27 फरवरी, 2013 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में आने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामगढ़	566/11-05-1981	477/27-02-2013
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घटिया	543/11-05-1981	477/27-02-2013
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अम्बोदिया	564/04-06-1982	477/27-02-2013
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाँसखेड़ी	615/22-06-1982	477/27-02-2013
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जलवा	571/19-10-1981	477/27-02-2013
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नजरपुर	540/11-06-1981	477/27-02-2013

1	2	3	4
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिछड़ोद	541/11-06-1981	477/27-02-2013
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूई	703/13-05-1985	477/27-02-2013
9.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पानबिहार	568/11-05-1981	477/27-02-2013
10.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तुलाहेड़ा	575/24-10-1981	477/27-02-2013
11.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मालीखेड़ी	585/04-06-1982	477/27-02-2013

अतः मैं, एस. के. मालवीय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 13 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

एस. के. मालवीय,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(259)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1245, दिनांक 05 जून, 2012 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मेढ़की, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 855, दिनांक 26 जुलाई, 1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री मुकेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(252-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2443, दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 द्वारा ग्रामोद्योग तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खाचरौद, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 124, दिनांक 17 जुलाई, 1961 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री नरसिंह कनेल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(252-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 264, दिनांक 06 फरवरी, 2008 द्वारा खाद्य क्रय विक्रय विक्रेता सहकारी समिति मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 649, दिनांक 02 मई, 1958 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुधीर जैन, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

मनोज जायसवाल,

उप-पंजीयक.

(252-I)

कार्यालय परिसमापक, सतवास सहकारी संस्था मर्या., सतवास

दिनांक 25 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

सतवास सहकारी संस्था मर्या., सतवास, तहसील सतवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1060, दिनांक 19 अगस्त, 2003 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्रमांक/परि./2012/141, दिनांक 10 जनवरी, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 25 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(260)

कार्यालय परिसमापक, भवरास सहकारी संस्था मर्या., भवरास

दिनांक 26 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र. 1.— भवरास सहकारी संस्था मर्या., भवरास, तहसील खातेगांव, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1042, दिनांक 23 दिसम्बर, 2002 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्रमांक/परि.2012/140, दिनांक 10 जनवरी, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(260-A)

कार्यालय परिसमापक, भेरूपुरा सहकारी संस्था मर्या., भेरूपुरा

दिनांक 27 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र. 1.—भेरूपुरा सहकारी संस्था मर्या., भेरूपुरा, तहसील सतवास, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 973, दिनांक 10 सितम्बर, 2001 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्रमांक परि. 2012/144, दिनांक 10 जनवरी, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

एन. के. सोनी,
परिसमापक.

(260-B)

कार्यालय परिसमापक, टिक्याखेड़ी सहकारी संस्था मर्या., टिक्याखेड़ी

दिनांक 16 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

टिक्याखेड़ी सहकारी संस्था मर्या., टिक्याखेड़ी, तहसील बागली, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 835, दिनांक 30 नवम्बर, 1996 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्रमांक 138, दिनांक 10 जनवरी, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(261)

कार्यालय परिसमापक, भटोनी सहकारी संस्था मर्या., भटोनी

दिनांक 16 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

भटोनी सहकारी संस्था मर्या., भटोनी तहसील बागली, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 661, दिनांक 25 अगस्त, 1989 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्रमांक 583, दिनांक 13 जून, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र.-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(261-A)

कार्यालय परिसमापक, टप्पा सुकलिया सहकारी संस्था मर्या., टप्पा सुकलिया

दिनांक 16 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

टप्पा सुकलिया सहकारी संस्था मर्या., टप्पा सुकलिया, तहसील बागली, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 880, दिनांक 7 मार्च, 2000 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्रमांक 1617, दिनांक 14 जून, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(261-B)

कार्यालय परिसमापक, मनासा सहकारी संस्था मर्या., मनासा

दिनांक 16 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

मनासा सहकारी संस्था मर्या., मनासा, तहसील बागली, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 295, दिनांक 18 नवम्बर, 1976 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्रमांक 127, दिनांक 10 फरवरी, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(261-C)

कार्यालय परिसमापक, आमलाताज सहकारी संस्था मर्या., आमलाताज

दिनांक 16 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

आमलाताज सहकारी संस्था मर्या., आमलाताज, तहसील बागली, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 543, दिनांक 12 मार्च, 1984 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्रमांक 135, दिनांक 10 जनवरी, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(261-D)

रामचंद्र जायसवाल,
परिसमापक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 मई 2013-ज्येष्ठ 3, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 06 फरवरी, 2013

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेधाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित है.—

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील अटेर, भिण्ड, गोहद, मेहगांव, मिहोना (भिण्ड), ग्वालियर, डबरा, भितरवार, घाटीगांव, (ग्वालियर), शिवपुरी, नरवर, करैरा, कोलारस, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), पृथ्वीपुर, जतारा, बल्देवगढ़ (टीकमगढ़), मुंगावली, अशोकनगर (अशोकनगर), गौरीहार, छतरपुर, राजनगर, बिजावर, बड़ामल्हारा (छतरपुर), मालथोन, खुरई (सागर), सुवासराटप्पा, भानपुरा (मंदसौर), खांचरौद, तराना, घटिया, उज्जैन, नागदा (उज्जैन), मो. बड़ोदिया, सुसनेर, नलखेड़ा, बडौद, शाजापुर, कालापपील, गुलाना (शाजापुर), जीरापुर, खिलचीपुर, राजगढ़, ब्यावरा, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), लटेरी, सिरोंज, कुरवाई, बासौदा, नटेरन, विदिशा (विदिशा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि.मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील लहार (भिण्ड), खनियाधाना (शिवपुरी), निवाड़ी, टीकमगढ़, पलेरा (टीकमगढ़), ईसागढ़, चंदेरी (अशोकनगर), नौगांव (छतरपुर), बीना (सागर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि.मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील ओरछा (टीकमगढ़) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

- जुताई.—जिला श्योपुर मण्डला में जुताई एवं बैतूल में गन्ना की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
- बोनी.—जिला श्योपुर, पन्ना, देवास, खरगौन, मण्डला में फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
- फसल स्थिति.—जिला इन्दौर में शीतलहर से फसल चना, आलू व भोपाल में तुषार से चना, मसूर, फसल पर 10 प्रतिशत व रायसेन में पाला तुषार से 20 प्रतिशत की व कटनी में पाला शीतलहर से तुअर एवं सब्जियों में क्षति व कहीं-कहीं फसलें प्रभावित हुई हैं.
- कटाई.—जिला बुरहानपुर में फसल तुअर व विदिशा में तिवड़ा, मसूर व बैतूल में तुअर, गन्ना की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
- सिंचाई.—जिला ग्वालियर, छतरपुर, सागर, शहडोल, राजगढ़, भोपाल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
- पशुओं की स्थिति.—राज्य में प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
- चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
- बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
- खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 06 फरवरी, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह .. 2. पोरसा .. 3. मुरैना .. 4. जौरा .. 5. सबलगढ़ .. 6. कैलारस ..					
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, तुअर, मटर, मसूर, अलसी. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर .. 2. कराहल .. 3. विजयपुर ..					
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 4.00 2. भिण्ड 8.30 3. गोहद 2.00 4. मेहगांव 7.00 5. लहार 19.6 6. मिहोना } 7. रौन } 4.00					
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक. तिली, मूँगमोट, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 7.6 2. डबरा 10.0 3. भितरवार 13.0 4. घाटीगांव 2.0					
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा .. 2. दतिया .. 3. भाण्डेर ..					
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 7.0 2. पिछोर .. 3. खनियाधाना 24.0 4. नरवर 5.0 5. करैरा 13.0 6. कोलारस 9.0 7. पोहरी 4.0 8. बदरवास 4.0					

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) उड़द, सोयाबीन, गन्ना अधिक. मक्का, गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुंगावली	14.0				
2. ईसागढ़	23.0				
3. अशोकनगर	16.0				
4. चन्देरी	20.0				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. पर्याप्त. 8. ..
1. गुना	..				
2. राधोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, आलू . (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	22.0				
2. पृथ्वीपुर	13.0				
3. जतारा	15.0				
4. टीकमगढ़	24.0				
5. बल्देवगढ़	4.0				
6. पलेरा	31.0				
7. ओरछा	39.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) जवा, चना अधिक. गेहूँ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लौण्डी	12.0				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	24.0				
4. छतरपुर	7.9				
5. राजनगर	11.8				
6. बिजावर	3.0				
7. बड़ा मलहरा	6.0				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मसूर, मटर +, बट्टी, आलू प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..				
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू, प्याज समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	18.6				
2. खुरई	16.0				
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	2.2				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, चना, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	..		(2) ..		
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. रघुराजनगर	..		4. (1) तुअर कम. गेहूँ, चना, मसूर अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	..		सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बधेलान	..		(2) ..		
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ल्यौंथर	..		4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..		मसूर, राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकूर्चिलियान	..				
8. नईगढी	..				
9. मनगंवा	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..		गेहूँ, मसूर, मटर, मक्का कम.	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	..				
4. पुष्परजगढ़	..				
*जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बांधवगढ़	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पाली	..		(2) ..		
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. गोपदवनास	..		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ, जौ, मसूर, मटर, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर अधिक. जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर, लाख समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	2.8		4. (1) गेहूँ, राई सरसों अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	3.2		(2) ..		
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दसौर	..				
6. सीतामऊ	..				
7. शामगढ़	..				
8. धुन्धड़का	..				
9. संजीत	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मनासा	..				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	2.0		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) ..		
3. तराना	7.0				
4. घटिया	0.4				
5. उज्जैन	2.0				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	0.2				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	1.0		4. (1) गेहूँ, चना, राई सरसों.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	3.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. नलखेड़ा	5.0				
4. आगर	..				
5. बड़ौद	2.0				
6. शाजापुर	11.6				
7. शुजालपुर	2.0				
8. कालापीपल	5.0				
9. गुलाना	9.0				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन अधिक. मक्का, कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नौद 6. खातेगांव				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास, गेहूँ, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. राणापुर 5. झाबुआ				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, गेहूँ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भामरा 2. जोवट 3. अलीराजपुर 4. कट्ठीवाड़ा 5. उदयगढ़ 6. सोण्डवा				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक, गेहूँ, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. शीत लहर से रबी फसलों में चना, आलू की फसल प्रभावित हुई है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. महु (डॉ. अम्बेडकरनगर)				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. सनावद 3. महेश्वर 4. सेगांव 5. करही 6. खरगोन 7. गोगावां 8. कसरावद 9. मुल्ठान 10. भगवानपुरा 11. भीकनगांव 12. झिरन्या				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी:	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला पूर्वे-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		कपास, तुअर, गेहूँ, चना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	6.5		4. (1) गेहूँ अधिक. गन्ना, ज्वार, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	9.8		मक्का, मूँगफली, तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	10.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	8.6				
5. सारंगपुर	15.0				
6. नरसिंहगढ़	15.0				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. तेवड़ा एवं मसूर की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	14.0		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तेवड़ा, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	14.0		राई-सरसों.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	9.0		(2) ..		
4. बासौदा	6.4				
5. नटेरन	6.0				
6. विदिशा	4.0				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. तुषार से चना, मसूर फसल पर 10%की क्षति हुई है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, तिवड़ा कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2)	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. पाला तुषार से 15 से 20% क्षति हुई है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख, सरसों, अलसी, गन्ना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाडी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गन्ने की रोपाई व तुअर, गन्ना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. बैतूल	..				
4. मुलताई	..				
5. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) गेहूँ, मूंगमोठ, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		चना, मटर, मसूर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) गेहूँ	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	..		4. (1) गेहूँ, उड़द, मूंगमोठ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	..				
4. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. पाला शीत लहर से तुअर एवं सब्जियों में क्षति व फसलें प्रभावित हुई है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) चना, गेहूँ, मसूर, अलसी, राई-सरसों, जौ, मटर.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. गाडरवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, बटरा, मसूर, अलसी. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	..				
2. बिछिया	..				
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..				
2. शाहपुरा	..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..				
2. जुन्नारदेव	..				
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. मोहखेड़ा	..				
11. हरई	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. केवलारी	..				
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसीर	..				
7. धनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी, राई-सरसों, मटर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला उमरिया, बड़वानी, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(269)